

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE PUBLICATION OF POLITICAL PARTY ACCOUNTS BILL, 1968—contd.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, पीताम्बर दास जी ने जिस उद्देश्य को लेकर और जिन कारणों से यह पब्लिकेशन आफ पोलिटिकल पार्टी एकाउन्ट्स बिल 1968—अब तो 1972 हो गया है—पेश किया है, मैं उनसे सहमत हूँ और उसका समर्थन करता हूँ।

श्रीमन्, इस विधेयक के संबंध में हमारे दो साथियों ने भाषण दिए, एक तो चौधरी गनबीर सिंह ने और एक श्री लोकनाथ मिश्र ने और चौधरी साहब ने यह कहा कि इसकी मन्शा तो अच्छी है—इसकी मन्शा पर उनको कोई आपत्ति नहीं थी—लेकिन उनको मिफ आपत्ति यह थी कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, यह व्यावहारिक नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि जनसंघ पार्टी कितना पैसा लेती है, तथा अन्य दूसरी पार्टियाँ कितना पैसा लेती हैं, यह सभी इस में आ जायेगा। श्रीमन्, मैंने एक गेयर याद आ गया श्री चौधरी के एंटीड्यूड पर :—

“ऐ चमन वालों चमन में मुं गुजारा चाहिए
बागवां भी खुश रहे, गज्जी रहे सैयाद भी”

मन्शा तो अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ : कोई चीज प्रैक्टिकल आपकी निगाह में न हो तो उसके लिए कानून न बनें, चोरियों के लिए कानून बनते हैं, डकैतियों के लिए कानून बनते हैं, खाने-पीने की चीजों में मिलावट न हो, शराब का डिस्टिलेशन न हो इसके लिए कानून बनते हैं, लेकिन उसके वावजूद भी गुनाह होते हैं। इस लिए कोई गुनाह न कर पाए इस के लिए हमारा कोई कानून न बने मैं इससे इतिफाक नहीं करता हूँ। जैसा कि पीताम्बरदास जी ने जब बिल पेश

किया उन्होंने कहा कि हमारे विधान में पोलिटिकल पार्टिज की कोई मान्यता की बात नहीं है। यह बात सही है, मगर यह बात भी अपनी जगह है कि मान्यता की बात न भी हो, हमने जिस दिन पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी को माना अपने देश के अन्दर, हमने बाई इन्फरेन्स बाई इम्प्लीकेशन इस बात को माना कि हमारे देश के अन्दर पोलिटिकल पार्टिज होगी और पार्टी गवर्मेन्ट्स बनेंगी और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने कानून बनाए और उन्होंने पार्टीज के लिए मान्यता दी और उसके कुछ नियम भी हैं कि इन इन आधारों पर उनको मान्यता दी जाएगी। कुछ तो राष्ट्रीय पार्टियाँ मानी गई हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ मानी गई हैं।

श्री कालो मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : आप किस पार्टी से आये हैं ?

श्री नवल किशोर : अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है और राज्य सभा में बैठे हैं कि मैं किस पार्टी को मानता हूँ, तो आप बिल्कुल ही नाबालिग हैं। आप तो अभी बिल्कुल ही तिफले मकतब हैं, बच्चे हैं और हम तो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं जबकि आपको इसमें आये हुए कुल तीन ही साल हुए हैं। तो श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस विधेयक की यह मन्शा है कि इस पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में जो चुनाव पद्धति हो वह स्वस्थ हो और साथ ही साथ प्यार यानी शुद्ध भी हो। श्रीमन्, इसी वजह से इलेक्शन कमिशन ने यह मियाद लगाई थी कि एक आदमी असेम्बली सीट के लिए अपने चुनाव में 7 हजार रुपया तक खर्च कर सकता है, शायद यह रकम अब 9 हजार रुपया हो गई है। इसी तरह से पार्लियामेन्टरी सीट के लिए एक आदमी 25 हजार रुपया खर्च कर सकता है, लेकिन अब यह रकम 30 हजार रुपया हो गई है। इस सब की मन्शा यह थी कि इससे ज्यादा पैसा खर्च न हो क्योंकि हिन्दुस्तान एक गरीब देश है और हर इन्सान को चुनाव लड़ने

के लिए बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। होता यह है और चौधरी साहब इतिफाक करेंगे क्योंकि हम सब लोगों को इस बात का तजुर्बा है कि पार्टी का संचालन किस प्रकार से किया जाना है। हमने पार्टी का संचालन किया है, खुद चुनाव लड़े हैं और साथियों को चुनावे लड़ाया है, तो हम ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो चाहे कितना छोटा व्यक्ति हो चुनाव के लिए खर्च की जो सीमा बांधी गई है उसके अन्दर वह चुनाव नहीं लड़ता है और न लड़ सकता है एक आड यह होती है कि मैंने तो इतना खर्च किया और बाकी मेरी पार्टी ने खर्च किया।

आज मिथित यह है कि एक व्यक्ति के लिए जो 9 हजार रुपये की मीयाद रखी गई है उसमें से वह 8 हजार के बारे में खर्चा दिखलाता है और बाकी खर्च के बारे में कह देता है कि पार्टी की ओर से खर्चा किया गया है। अगर पार्टी उसके लिए 50 हजार रुपया भी खर्च कर देती है तो उसका कोई हिसाब उसको नहीं दिखलाना पड़ता है। आज हालत यह है कि जो पार्टी ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकती है उसके उम्मीदवार के चान्सेज चुनाव जीतने में ज्यादा हो जाते हैं और वह कामयाब हो जाता है। आज चुनाव के लिए जनता का समर्थन जरूरी नहीं है बल्कि चुनाव एक आर्ट और साइन्स हो गया है क्योंकि जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, जिस के पास ज्यादा गाड़िया होगी वह ज्यादा प्रचार कर सकेगा और इन सब चीजों का बड़ा असर होता है। श्री पीताम्बर दास जी ने इस चीज को दिमाग में रखते हुए यह बिल पेश किया है कि पार्टिया अपना हिसाब दें। मुझे याद है कि जब कांग्रेस का बंटवारा नहीं हुआ था, शायद चौधरी साहब को भी याद होगा, जब यह भसला वर्किंग कमेटी के सामने आया कि कम्पनियों का डोनेशन रहे या न रहे उस समय ईमानदारी से दो ऑपीनियन थी

उस समय कुछ की यह राय थी कि हिन्दुस्तान में कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना पैसे के नहीं चल सकती है और आये दिन के लिए जो दैनिक काम होते हैं, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है और चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा बहुत आवश्यक है, इसलिए कम्पनी डोनेशन की बात, सेन्टीमेंट के आधार पर, भावुकता के आधार पर न हटाइये। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले पार्टियों को बैंक में पैसा दिया जाता था, लेकिन आज टेबल के नीचे कैश पेमेंट होता है, नकद आता है और यह नकदी बैंक के पैसे से आती है। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री चव्वाण साहब ने कहा है कि हमारे हिन्दुस्तान में दो आर्थिक व्यवस्थाएँ हैं, दो इकोनॉमिक सिस्टम हैं, एक तो व्हाइट मनी है और एक ब्लैक मनी है और यही ब्लैक मनी है जो पार्टियों को कम्पनियों द्वारा दिया जाता है। इस बात को मानकर कहा जा सकता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, चाहे वह हमारी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, उसको और पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा पैसा मिलता है और कम्पनी भी अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा देती है। इस लिए जो ज्यादा पैसा आता है वह मेज के नीचे से आता है और उसमें स्वार्थ ज्यादा रहता है। वही हमारी नीतियों पर भी असर डालता है।

पहिले तो फिर भी एकाउन्ट में सफाई रहती थी लेकिन अब उस तरह की सफाई नहीं है। चौधरी साहब ने ठीक ही कहा कि हर पार्टी अपना हिसाब अपनी जनरल बाडी में पेश करती है। वे भी जानते हैं कि जैसे एकाउन्ट पेश होते हैं और कितने ही एकाउन्ट पेश नहीं होते। तो मेरे कहने का मन्ना यह है कि आज भी चन्दा कम्पनियों से आता है। आज जो चन्दा है वह कैश में आता है, ब्लैक में आता है क्योंकि उनको किताब में दर्ज नहीं किया जाता और उसको अपने यहाँ दर्ज करने में पोलिटिकल पार्टीज को भी दिक्कत होती है।

आपको याद होगा कि 1952 तक यह कायदा था कि चुनाव खर्च के हिसाब में यह भी एक आइटम था बताने के लिए कि पैसा कहाँ से मिला है। अब इतना है कि अपना खर्चा दिखा दीजिए, पैसा कहाँ से मिला इस पर आपत्ति नहीं है। अब, श्रीमन्, देखने की बात यह है कि अगर हम इस गरीब देश में जनतंत्र को चलाना चाहते हैं और अगर गरीब आदमी या वह पार्टी जो ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, उनको बराबर की अपोर्च्युनिटी नहीं है चुनाव लड़ने की तो फिर यह डेमोक्रेसी कहने की डेमोक्रेसी होगी, अमीर पार्टी की डेमोक्रेसी हो जायगी या प्रिविलेज्ड आदमियों की डेमोक्रेसी हो जायगी, आम जनता की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी।

हम बहुत से कानून बनाते हैं और उन पर टीका-टिप्पणी भी होती है। हमने मोनो-पोलीज कमीशन बनाया और वह इस लिए बनाया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की मोनो-पोली हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर न रहे ताकि हमारे राजनीतिक तंत्र के ऊपर पैसा हावी न हो जाय। क्या यह बात सही नहीं है कि मोनोपोलीज कमीशन के ऊपर हमारे भाई कृष्णकान्त रोज सवाल पूछते हैं कि टाटा जी को, बिड़ला जी को—क्यों न ए लाइसेंस दिए जाते हैं। मैं इस बात का इल्जाम नहीं लगाता कि क्यों दिए। लेकिन जो हमारी लाइसेंस देने की पोलिसी है, जो कंट्रोल इकोनोमी है, जिस तरह से हम परमिट देते हैं उस सबके पीछे एक चीज होती है कि हम जिसको जितनी ज्यादा आफिशियल पेट्रोलियम देते हैं उससे उतने ज्यादा साधन प्राप्त हो यह आशा रखते हैं।

यह मैं एक संकेत मात्र के लिए कहना चाहता हूँ। हम जो बात कहते हैं वह बात पूर्ण रूप से कार्यन्वित हो नहीं पाती। तो मैं एक बात चाहता हूँ कि या तो शासकीय दल बाकई इस बात पर जोर दें और रूलिंग पार्टी इस बात को तय करे कि बाकई हम इस सिद्धान्त को मानना चाहते हैं या नहीं मानना

[श्री नवल किशोर]

चाहते हैं कि जो मियाद दी गई है उससे ज्यादा खर्चा न हो जिनमें व्यक्ति का अपना पैसा भी शामिल हो और पार्टी का पैसा भी शामिल हो। अगर यह बात मानने को तैयार नहीं हैं तो मेरी दूसरी मांग यह है कि 9 हजार और 30 हजार की जो मियाद है इसको खत्म कर दिया जाय, क्योंकि यह फ्राड है, हम सबको झूठे रिटर्न देने पड़ते हैं, चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। मुझे एक बात याद है। पन्त जी स्वर्ग चले गए, मैंने पन्त जी से पूछा था कि जब आप जानते हैं कि हर कैंडीडेट मियाद से ज्यादा पैसा खर्च करता है, उसके बाद भी खर्चा देने का कानून क्यों बना हुआ है। तो, श्रीमन्, मैं चाहता हूँ कि कानून रहे तो उसकी पाबन्दी हो और अगर पाबन्दी नहीं हो सकती है तो कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक पैसे की शक्ति रहेगी तब तक फ्री और फेयर चुनाव की बात चलेगी नहीं और यह बात मुनासिब भी नहीं होगी। मैं जानता नहीं कि यह बात सही है या गलत, जब, 71 का चुनाव हुआ तो किसी ने कहा कि रूलिंग पार्टी ने 3 करोड़ इकट्ठा किया किसी ने कहा 5 करोड़ इकट्ठा किया, यह भी कहा गया कि हर कैंडीडेट को 70 हजार खर्च करने के लिए दिया गया। अगर यह बात सही है तो चौधरी साहब इतिफाक करेंगे कि जो 25 हजार की मियाद थी उससे ज्यादा खर्च करने के लिए पैसा दिया गया, चाहे आपने दिया या हमने दिया। पोटेंट यह है कि अगर इस तरह का विषय बन जाता है तो कुछ किमी तरह की पाबन्दी होनी पार्टियों पर। मैं जानता हूँ कि जो बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जिनके एकाउन्ट मैनेज होते हैं, ऑडिट होते हैं वहाँ भी कहा जाता है कि उनके यहाँ दो बही खाते होते हैं दो एकाउन्ट होते हैं। देखने की बात यह है कि जो पोलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके अन्दर इनहेरेन्ट आनेस्टी हो और इसकी जिम्मेदारी जो रूलिंग पार्टी है—वह कोई भी हो—उस के ऊपर ज्यादा है। अगर वह इस तरह के,

कन्वेन्शन्स, इस तरह की ट्रेडीशन्स मानने को तैयार हूँ तो मैं समझता हूँ कि यह बात चल सकती है।

पिताम्बर दाम जी ने बिहार का जिक्र किया। लोकनाथ जी ने उड़ीसा का जिक्र किया। मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि वीरेन मित्र ने 5 लाख रुपया खर्च किया और चीफ मिनिस्टर ने 25 लाख खर्च किया। इसमें कितना सही है, कितना गलत है, मैं नहीं जानता, मैं अखबारों की बात कह रहा हूँ। यह भी कहा गया कि रूस के टेलीविजन के इंचार्ज कोई श्री वोर्गिस वहाँ गए, तीन दिन रहे। उसके पीछे मंशा यह थी, वैसे ही नहीं गए थे शायद कुछ इमदाद करने गए थे। इसके माने यह हुआ कि फारन मनी की बात भी आ जाती है चुनाव के सिलसिले में। मुझे याद है कि 1971 में जब चुनाव हुए तो कितना ही झूठ क्यों न हो, इस तरह के आरोप अखबारों में आये थे कि रशियन इंबेसी ने 80 लाख रुपया रुपीज में बैंक से विदड़ा किया था। सेठी साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश में अमेरिकन एजेन्ट्स गये थे। इसके माने यह थे कि वहाँ भी पैसों की बात थी। श्रीमन्, यह बड़े शर्म की बात है कि हिन्दुस्तान के इन्वेक्शन में फारन मनी का इस्तेमाल किया जाय। मुझे पता है, और मिश्रा जी ने भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी जांच की थी। उसकी रिपोर्ट आई। मैं भी श्रीमन्, इस बात की मांग करता हूँ कि फारन मनी के सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट हो, चाहे वह किसी पार्टी के खिलाफ हो, वह पार्लियामेंट के दोनों सदनों की मेज पर, पटल पर रखी जाए। (*Time Bell Rings*)

तो मैं जो बात कह रहा था, कि इस तरह की जो पाबन्दी की बात है और जो पिताम्बर दास जी ने कही, उन्होंने यह नहीं कहा कि एक पार्टी हिसाब दे और एक पार्टी हिसाब न दे, यह ठीक नहीं है यूँ भी पार्टियाँ आयेंगी और जायेंगी। गवर्नमेंट्स आयेंगी और जायेंगी। हमको तो इस बात की कोशिश

करनी है कि जो राजनीतिक जीवन है, उस को मानवीय कमजोरियों के बावजूद भी जितना स्वास्थ्य और शुद्ध हम बना सकें, उसको बनाने की कोशिश करें। उसके लिए इनका यह एक कदम है।

श्रीमन्, हमारे देश में समाजवाद की बहुत बात की जाती है। यह भी एक मन्थरापन है। कृष्णकांत जी भी मुझसे इतिफाक करेंगे कि हिन्दुस्तान में समाजवाद को भी पूंजीवाद फाइनेंस करता है। यह तो कहने की बात है कि गरीबों से थोड़ा थोड़ा चन्दा करके पार्टियाँ खर्चा करती हैं कितनी पार्टियाँ सही कहती हैं कि हम एक एक रुपया गरीबों से लेकर खर्च करते हैं, पर दरअसल पैसा वही में यानी अमीरों से आता है। यह जरूर है कि कांग्रेस के बंटने के बाद इसमें इतना फर्क जरूर हो गया। पहले चौधरी साहब को भी पैसा मिलता था हमको भी पैसा मिलता था। कांग्रेस के बंटने के बाद दूसरी पार्टियों को पैसा इकट्ठा करने में बाधा होती है, ऐसी शिकायत है।

श्रीमन्, मैं एक दो बातें कहकर खत्म करता हूँ। यूँ तो डिफेक्शंस (*Defections*) की बात भी बहुत होती है। आदमी जब डिफेक्ट करता है तब या किसी पेंड के लालच से करता है या किसी आदर्श से करता है या कुछ आर्थिक कारणों से भी करता है। आदर्श में जितने आदमी करते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है, उनको डिफेक्शंस मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो पैसों की वजह से करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी करनी हो, मैं समझता हूँ यह बात देश की राजनीति को खराब करती है, उसमें खराबी पैदा करती है। श्रीमन्, यहाँ 60 लाख रुपये की बात भी बहुत दफा आई। आज तक मैं यह नहीं जानता कि यह कौन से ऐकाउंट में से विदड़ा की गई और किस खाते में वाद में जमा हुई। बीमारी इसी बात की है कि अगर हम ऐकाउंट्स नहीं देंगे, मैं जानता हूँ कि इसके अन्दर भी दिक्कतें होंगी, इसके अन्दर मैनिपुलेशन

[श्री नवल किशोर]

होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम अगर कदम उठाएँ तो अच्छी बात होगी। यह ठीक है कि आपने सजा रखी है कि जो पार्टी एकाउंट्स पब्लिश नहीं करेगी उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन जो मौजूदा कानून है, उसके अन्दर आप मान्यता नहीं छीन सकते जब तक कि आप रिप्रजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट में संशोधन न करें। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी।

आखीर में, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो मंशा है या कोई सिर्फ थियोरिटिकल मंशा नहीं है। उन्होंने इस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इसकी कामयाबी या नाकामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं या जिनके ऊपर शासन का उत्तरदायित्व आज है, अगर उन्होंने इसकी पहल की, उन्होंने इस बात को माना तो यह कानून बनने के बाद भी कामयाब होगा। अगर नहीं माना तो कानून बनने के बाद भी उसका ब्रीच होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बात की दख्खास्त करता हूँ कि गवर्नमेंट इस बात को मुनासिब संजीदगी के साथ उसी स्पिरिट में जिसमें पीताम्बर दास जी ने सोचा है, उसको समझेगी और इस बिल को यदि मौजूदा रूप में न भी माने तो कोई न कोई कानून ऐसा जरूर बनना चाहिए कि पार्टियाँ मजबूर हों अपना हिसाब देने के लिए।

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : उपसभापति जी, मभा जिस विधेयक पर विचार कर रही है मैं भी उस सम्बन्ध में अपनी दो चार बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हमारे लायक दोस्त पीताम्बर दास जी का जो विधेयक है इसमें कोई शक नहीं कि विधेयक का उद्देश्य बड़ा ही अच्छा है, बड़ा उत्तम है लेकिन हर अच्छा उद्देश्य भी इंसान को ले दे कर डूब जाता है।

मनुष्य की अच्छी वृत्तियाँ, अच्छे उद्देश्य भी उसे रसातल में ले जाते हैं। यह भी प्रामाणिक बात हो गई है। इसलिए क्योंकि इसका उद्देश्य अच्छा है तो यह अच्छा हो जाएगा ऐसा तो मैं मान कर नहीं चलता हूँ। मैं मान कर यह चलता हूँ कि इसको बाकायदा जनहित में कहां तक व्यवहार में ला सकेंगे। चुनाव में इसकी कहां तक व्यावहारिकता है। क्या इस व्यावहारिकता की कसौटी पर यह ठीक उतरेगा यह मेरा टेस्ट है और जब मेरा यह टेस्ट है तो उनके उद्देश्य में और उनके मस्तिष्क में जो बाते हैं उससे जरा भी विरोध नहीं है लेकिन जो बान हो नहीं सकती, जो बात चल नहीं सकती वह फिर ठीक नहीं है चाहे उसके उद्देश्य लाख अच्छे हों।

बात क्या है। बात यह है कि जो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल हैं, पोलिटिकल पार्टियाँ हैं उनका जो सालाना हिसाब है उसका पब्लिकेशन होना चाहिये। इसकी तह में क्या है। मैंने जैसा समझा है इसकी तह में यह है कि चुनाव में जो पार्टियाँ ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो उन पार्टियों के एकाउंट में वह आयेगा। मेरा ध्यान है कि पीताम्बर दास जी का लक्ष्य भी इससे परे नहीं है, उनके मन में भी यह बात है क्योंकि वह भी पोलिटिकल पार्टी के हैं, पोलिटिकल प्राणी हैं, पोलिटिकल-बीइंग हैं। इससे ऊपर उठ कर सोच नहीं सकते हैं। और बात यह है कि जो पोलिटिकल पार्टी का एकाउंट पब्लिश होगा उसमें देखा जाएगा, अगर सच्चा एकाउंट वह देगी, कि क्या उसके अन्दर है। यह बात तो ठीक है कि हम भी अपने मन में समझते हैं, पीताम्बर दास जी भी समझते हैं और जितने भी हैं सब समझते हैं कि हम कितनी दूर तक ठीक ठीक हिसाब रखने हैं और नहीं रखते हैं। पोलिटिकल पार्टी के हिसाब की बात तो छोड़ दीजिये इन्वेक्शन में जो खर्च होता है वह इन्वेक्शन एकाउंट देने का अभी भी नियम है।

रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में जो रूल बना हुआ है उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आज मान्यता भी मिलती है और सब कुछ उसके आधार पर है लेकिन अगर सच पूछा जाए, ईमानदारी से पूछा जाए, छाती पर हाथ रख कर स्वयं पूछें कि जो इलेक्शन पर खर्च होता है . . .

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : छाती पर हाथ रख कर नहीं सीने पर हाथ रख कर ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : वही बात है ।

(श्री ओम् मेहता : किसके सीने पर हाथ रखा जा रहा है ।)

श्री भोला पासवान शास्त्री : अपने कलेजे पर हाथ रखा जा रहा है ।

श्री नवल किशोर : सीना मर्दाना होता है छाती जनानी होती है ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : अच्छा । यह सब लोग जानते हैं, सब समझते हैं कि एकाउंट जो दिया जाता है वह क्या होता है, जितना वाकई में खर्च होता है क्या उतना दिया जाता है । अगर उतना दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद बात पर बहुत से आदमियों का इलेक्शन रह हो जाए । ऐसा नहीं होता है । यह जाहिर है, मानिये चाहे न मानिये, विश्वास कीजिये चाहे न कीजिये, यह बात होती है नहीं । इसलिए पीताम्बर दास जी जो चाहते हैं करना वह क्या चलने वाला है । जो राजनैतिक दलों को मान्यता अभी दी जाती है, जैसा कि हमें मालूम है रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में इलेक्शन कमीशन को पावर है और वह मान्यता देता है लेकिन वह किस आधार पर देता है । पोलिटिकल पार्टी क्या कोई रजिस्ट्रेशन करवाती है, क्या अपने को कोई रजिस्टर्ड करवाती है या पोलिटिकल पार्टी

जो इलेक्शन में जाती है तो इलेक्शन कमीशन से पूछ कर जाती है, उसकी राय ले कर पोलिटिकल पार्टी नहीं बनाते हैं, पहले भी पोलिटिकल पार्टी हम ही बनाते थे और अभी भी बनाते हैं, कमीशन कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं बनाता, पोलिटिकल पार्टी हम बनाते हैं, जनता की तरफ से बनाने हैं, पोलिटिकल पार्टी की मान्यता हम खुद देते हैं, हम जनता के रूप में देते हैं, जनता देती है इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट नहीं देती है, जनता ही उसका असली टेस्ट है कि पोलिटिकल पार्टी की मान्यता क्या होनी चाहिए ।

ऐसी भी पोलिटिकल पार्टी है । हमको तो याद है, जब शुरू में कांग्रेस में हम लोग इलेक्शन लड़ते थे बहुत से दोस्त हमारे हैं, नेता भी हैं, जिनको हम जानते हैं, वचन में देखा है—त्यागी जी हैं, और भी बहुत में हैं, हम लोग अकाउंट रखते थे । पोलिटिकल पार्टी जो अच्छी पार्टी होती है अकाउंट रखती है भले ही उसका कोई पब्लिकेशन न हो । लेकिन हमारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ए० आई० सी० का है । अकाउन्ट्स होते थे, हम पब्लिक में दिखाते थे हमारी पोलिटिकल पार्टी की कितनी आमदनी है चन्दे से और कितना हमारा खर्चा है । वह किसी को खुश करने के लिए नहीं था । हमारे पब्लिक वर्क्स थे वह चन्दा एकट्टा करते थे । जनता से जो कुछ हम लेते थे उसको हम जनता की सफाई के लिए अपनी ओर से इश्तहार करते थे और कहते थे इतना खर्चा हुआ । यह कोई दिखाने की बात नहीं थी, बनावटी बात नहीं थी । और जैसा मैंने कहा, चार्टर्ड अकाउन्ट्स हमारे हिसाब की अकाउंटिंग करते थे—ए० आई० सी० सी० के वी० पी० सी० सी० के, डिमिट्टेड काउन्सिल के, थाना कमेटी के । इसलिए अकाउंट पब्लिक होता ही था, पब्लिक होता ही है । जिस पार्टी में हमारे लायक दोस्त पीताम्बर दास जी हैं, उन्होंने जब

[श्री ओम् प्रकाश त्यागी]

जन संघ पार्टी बनायी तो उन्होंने इलेक्शन कमिशन को हिसाब दिया कि हमारा इतना खर्चा है ? उन्होंने भी अपना अकाउन्ट रखा होगा। उनकी पार्टी की कोशिश रहती होगी कि वह पावर में आ जाए, उनकी पार्टी जीत कर जाए। उनकी पार्टी अभी तक है। जनता की जो भी सेवा कर सकती है उसके लिए पोलिटिकल पार्टी काम करेगी। जनता के दिल को जीनेगी, उसके सुख दुख के लिए सोचेगी, समय ज्ञाया करेगी, मेहनत करेगी, उस हद तक वह पावर में रहेगी। हमने देखा है, कोई पोलिटिकल पार्टी तो जनता उसको रिस्पान्स करती है। रिजिड टेस्ट पोलिटिकल पार्टी की मान्यता का उसकी मेवा भावना है न कि अकाउन्ट पब्लिकेशन की बात है। अकाउन्ट पब्लिकेशन अच्छी है कर लीजिए। आपकी बात मान भी ली जाए थोड़ी देर के लिए, यदि यह पास भी हो जाए कि मान्यता प्राप्त पोलिटिकल पार्टी का अकाउन्ट पब्लिकेशन होना चाहिए, उससे क्या होगा ? मैं कर दूंगा। लेकिन असली बात है हमारा दिल और दिमाग साफ होना क्योंकि जब हम पर्सनल अकाउन्ट देते हैं, उसके साथ गपथ भी लेते हैं। तो गपथ लेने में क्या हमारी कमजोरी है या आपकी कमजोरी है। हम ह्यूमन बीइंग हैं और वैसे ही सब चल रहा है। जिस दिन हम इसको कर लेंगे, और सही दिशा में काम करने के लिए बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, यह काम होगा और करना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त में आप अगर पास कर भी देंगे तो यह चीज करप्शन के रास्ते में ले जाने के लिए और बढ़ावा देना होगा। एक इंडिविजुअल आदमी जो पर्सनल अकाउन्ट देना है उसमें जब वह हालत होती है तो अगर पोलिटिकल पार्टी का सवाल आएगा तो यह चीज समाज को और करप्शन की ओर ले जाएगा। यह अकाउन्ट कभी भी साफ नहीं होगा, जब दिल साफ नहीं है तो

कागज पर छापने से कोई चीज सही नहीं होगी और वह चल भी नहीं सकता है। इलेक्शन में जो पैसा खर्चा होता है वह कहा में आता है ? कांग्रेस पर तो सबकी नजर लगी हुई है क्योंकि बड़ी पोलिटिकल पार्टी है और पावर में भी है। उससे सब जलते हैं कि हम भी उस जगह में पहुंचें, पावर में आएँ। कौन आदमी चाहता है पावर में न आए ? एक वान में पूछना चाहता हूँ पीताम्बर दाम जी में ? अगर उनकी पार्टी को कोई चुपके चुपके दस-बीस करोड़ ५० दे दे और कहे कि इलेक्शन लड़िए और उनको अन्दाज हो जाए इस रूप से लड़कर हम इंडिया में जन संघ का राज कायम कर सकते हैं तो क्या वे वाज आएंगे...

श्री पीताम्बर दास : इससे पहले कि यह प्रश्न मुझसे पूछे आप किसी को तैयार कर लीजिए कि इतने करोड़ रुपए दें।

श्री भोला पासवान शास्त्री : हमारा पर्सनली कभी किसी पर कहना नहीं है। मैं तो इस विचार से तौलता हूँ, किमी भी पोलिटिकल पार्टी को कही अनायाम भगवान नहीं तो ऊपर से कोई गिरा कर कह दे कि सामने रखा है 10 करोड़ रुपया और इलेक्शन लड़ना है, कैंडिडेट को देना है, वोटर को घूस देना है, दूसरों को घूस देना, यह सब कर के पावर में आ सकते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो कै आदमी है जो टेम्पेशन रोक सकते हैं। (Time Bell Rings) इस लालच में कोई बचा है ? जितनी लड़ाई हो रही है, काहे के लिए ? पावर के लिए। जितनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तू तू में मैं कर रहे हैं—कांग्रेस खराब, जन संघ अच्छी, जन संघ खराब एस० एस० पी० अच्छी, वह खराब यह खराब—ये सब काहे के लिए है ? यह जो फूट हो गई काहे के लिए और रास्ता छोड़ 3 P. M. छोड़ कर कहां कहां जाओगे। हमने कहा अलग हो गये, वह काहे के लिए ? अविश्वास किस बात के लिए ? यह सब पावर

के लिए ही तो है। वही मन्त्र है, वही जोग है और वही भगवान है और उसी पावर को शामिल करने के लिए इतना बड़ा मजाक हो रहा है। अगर यह बात सब को मालूम हो जाए कि यह पावर जनता की सेवा करने के लिए है तो फिर इस तरह की जो बात है वह आप से आप दूर हो जायेगी। यह हम लोगो में खराबी है, मनुष्य की कमजोरी है और इसीलिए हम सरसरी तौर पर हिसाब भी रखते हैं। झूठा हिसाब हो, तो भी रखते हैं। हमने कहा कि इसको उठा दीजिए। अगर हिसाब नहीं रखा जाता है तो और भी गड़बड़ी होगी। लेकिन यह जो बिल आया है उसमें हिसाब रखने में यह मन में होगा कि कांग्रेस पार्टी पावर में है। यह तो इलेक्शन लड़ती है और जीतकर सब को हराती है और हरा हरा कर यह पार्टी पावर में चली आती है। अगर इसका हिसाब निकाला जाए तो हम पकड़ सकेंगे कि इसके पास कहां में पैसा आया, इतना खर्चा कहां से हुआ। पोलिटिकल पार्टी के पास कहां से खर्चा आया, यदि यह बात मन में हो, उसका हिसाब लेना भी चाहो, तो भी साबित नहीं कर सकते हों, कोई नहीं कर सकता है। अगर यह बात भी मन में हो, तो भी नहीं होगा। अगर आप में कोई कहे कि जन संघ ने, कांग्रेस (ओ) पार्टी ने या फिर ए० बी० सी०, किसी पार्टी ने, इतना लेकर किया, साबित भी करना चाहो, तो रोज कहां में साबित कर सकते हो। आप रोज देखते हो कि इन्क्वायरी होती है और क्या नहीं होता है। अय्यर कमेटी बैठी तो फिर किम का क्या हुआ? होते हवाने फिर वही बात होती है जो होने को होनी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वह यह कह सके कि यह करमूवार है क्योंकि हम देखते हैं कि जो लूट करता है वही पावरफुल होता है, पोलिटिकली पावरफुल होता है, जमा-मर्द होता है, दस आदमियों को बटोर सकता है और वह हल्ला भी कर सकता है और किसी के उसके

खिलाफ ऐक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती है और न ही उसको पब्लिक लाइफ से बाहर कोई कर सकता है।

हर पार्टी ने कांग्रेस को देखकर चन्दे को लेना शुरू कर दिया है और हर पार्टी मत्ता वाली पार्टी पर ऐब किकलाती है। इस समय मत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, वह इस समय पावर में है, तो हम को बर्दाश्त करना होगा। इसलिए भी बर्दाश्त करना होगा क्योंकि वह इस समय पावर में है, देश की नीति को निर्धारित करती है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक पालिसियां हैं और उसी ताकत से वह अपनी पालिसियों को चलाती है और जो दूसरी पार्टियां हैं वह उसमें ऐब निकालती हैं। यह तो ममस की बात है और हमारा जैसा आदमी इस चीज को बलकम करता है कि यह ठीक है। लेकिन जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो वे भी वैसी ही बात करने लगते हैं और दूसरे लोग उनके ऐब निकालते हैं। तो फिर इस चीज का इलाज क्या है। जब वे लोग भी आगे आ जाते हैं, तो फिर इस तरह की चर्चा सुनने को मिलती है और फिर वही बात। इस तरह से बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान-अल्लाह। कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई बात की तो छोटी पार्टियां भी करने लगती हैं और कहती हैं कि वे 25 वर्ष में किये तो हम 13 महीने में ही कर डालें। भाई यह चीज है, अगर यह सभा इस को पास भी कर देती है, तो भी यह चीज कैसे होगी। मेरी राय तो यह है कि अगर यह सभा पास भी कर देती है, तो यह निश्चिन्त है कि इसका मजाक हो जायेगा और यह चीज कभी भी आचरण में आने वाली नहीं है। कोई भी पोलिटिकल पार्टी एकाउन्ट नहीं देगी, कभी नहीं दे सकती है। हा पोलिटिकल पार्टीज कब एकाउन्ट देती थी, जब कि स्वराज्य नहीं हुआ था, पावर नहीं मिली थी और जब जनता दो पैसा चार पैसा, दस रुपया,

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

पच्चीस रुपया चन्दे के रूप में देती थी। उस जमाने में हम समझते थे कि इतने रुपये में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 25 रुपये में हम दस पांच आदमी हांटल में खाना भी खा लेते थे और कांग्रेस का काम भी कर लेते थे। लेकिन आज दुनिया जानती है किस तरह से लाखों, करोड़ों रुपया चुनाव के लिए चन्दे के रूप में आता है और फिर उसका हिसाब किस तरह से रखा जा सकता है कि वह पैसा कहां से आया और किस तरह से खर्च हुआ। हम यह बात रोज सुनते हैं कि बिड़ला ने आज इसको पैसा दिया, टाटा ने इतना पैसा दिया, लेकिन हमने इतना पैसा कभी भी नहीं देखा। जबान में आता है कि करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च हो गया, दस लाख खर्च हो गया, पांच लाख खर्च हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इतना पैसा पसीने का कमाया हुआ है चाहे वह किमी ने भी खर्च क्यों न किया हो। हम और आप जानते हैं कि यह पसीने के कमाई का पैसा है या फिर कहीं न कहीं ऊपरी पैसा है जिसे बेईमानी का पैसा कहते हैं। आज हम पैसा को लेने के लिए कम्पैनिशन लगा हुआ है। जो आदमी किसी के चुनाव के लिए रुपया देगा वह मत्ता के ऊपर हावी रहेगा। आप हम चीज में निकल नहीं सकते हैं चाहे आप लाख कोशिश क्यों न करें क्योंकि जो आदमी पैसा देकर इलेक्शन जितवायेगा, वही आपके दिल व दिमाग के ऊपर हावी रहेगा, खून में समा जायेगा। अगर आप देश के लिए कुछ काम करना चाहें, अच्छी नीति लागू करना चाहते हैं, तो वह बैठकर आपका हाथ पकड़ लेगा और छाया की तरह आपके पीछे रहेगा।

यह ठीक है, लेकिन उपाय क्या है। आप पास भी कर दें—सदन सर्वोपरि है—तो भी कुछ होने वाला नहीं है। यह बिल 68 का है। हमने सोचा कि इस पर राय दे देनी चाहिए। गरीब आदमी के पास

तो पैसा है नहीं, उसे पैसा कहा में मिलता है। हमने पोलिटिकल पार्टी बनाई किसी ने पैसा नहीं दिया। हमें कौन दगा? फिर भी हमने चलाया, जो कर मकें किया। जब पानी की तरह पैसा बह रहा है गरीब आदमी इस देश में क्या कर सकेगा। एकाउन्ट तो उम्मी का होगा जिसके पास पैसा है। हमारा क्या एकाउन्ट निकलेगा। मेरा दावा है कि दुनिया में ऐसी कोई पोलिटिकल पार्टी किसी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में नहीं है जो अपना एकाउन्ट पब्लिश करती है, अमरीका में भी नहीं है। अगर कही हो तो आप बना दीजिए अगर अगर कही करते भी होंगे तो इस ढंग में नहीं करते होंगे। अभी निक्सन माहब के इलेक्शन में जो खर्च हुआ उसके बारे में पोलिटिकल कमेन्टरी आई थी, एक अखबार में आया था कि पैसे के बल पर वह चुनाव जीते हैं। दुनिया का इतना बड़ा आदमी जिसकी पोलिसी का अमर दुनिया की रग-रग पर पड़ता है उसका इलेक्शन ऐसा हुआ है कि उसके एकाउन्ट का कही पता नहीं है, कितने मिलियन खर्च हुआ है इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। यह जो कानून हमारे भाई पीताम्बर दाम जी लाए हैं इसका फायदा किसको होगा। यह सोचना पड़ेगा कि जनता को उसका क्या फायदा होगा। हम जो काम करते हैं पब्लिक इन्टरेस्ट में करते हैं। इससे पब्लिक परपज क्या सर्व होगा अगर यह कह दें, समझा दे तो इसको मानने में कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे कोई पब्लिक परपज सर्व नहीं होगा बल्कि पब्लिक कम्पेनशन बढ़ेगा। अगर यह परपज हो कि पार्टीकुलर पार्टी बनें हो जायेगी, कांग्रेस पार्टी का दरवाजा बन्द हो जाएगा, अगर ऐसी धारणा हो...

श्री नवल किशोर : यह कहा है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : माने लगाए जाते हैं। क्या वह सब कुछ बिल में है जो आप सब लोग बोले हैं। हर एक आदमी

अपनी बात, अपनी धारणा, अपना अनुभव कह रहा है। इसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है इस वक्त। हाँ, जो इलेक्शन एकाउन्ट पोलिटिकल पार्टी देती है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट में ऑडिट करा कर पब्लिश कराती है वही व्यावहारिक है, कैंडिडेट जो इलेक्शन रिटर्न देता है वह ठीक है, वह गवर्नमेंट में रहता है, वह देखा जा सकता है। यही चल सकता है, नहीं तो पोलिटिकली मोटीवेटेड होकर इस बिल को पास करेंगे तो यह नाकामयाब होगा। बहुत से बिल पड़े हुए हैं स्टेट्यूट बुक में, यह भी पड़ा रहेगा। इसलिए इससे कोई जनहित होने वाला है, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है।

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसकी भावना का मैं आदर करता हूँ। जिन बातों की तरफ अभी हमारे साथी श्री शास्त्री ने ध्यान आकृष्ट किया है उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात में मैं सहमत हूँ कि वही कानून बनना चाहिए जिसका पालन हो सके और वह कानून नहीं बनना चाहिए जिसका आम तौर से पालन नहीं हो सकता। यह बात सर्वमान्य हो रही है कि इलेक्शन का जो ब्योरा दाखिल करने का कानून है उसका शाब्दिक अर्थों में परिपालन तो होता है, रिटर्न भरा जाता है, हर उम्मीदवार जो नामजदगी फाइल करता है, जिसकी नामजदगी सही पाई जाती है, चाहे वह चुनाव में कितने भी वोट पाए, अधिक या कम, लेकिन यह बात भी है कि जितना वास्तविक व्यय प्रत्येक उम्मीदवार करता है वह उसके चुनाव व्यय में नहीं दिखाया जाता। ऐसी स्थिति में जो तर्क शास्त्री जी ने अभी दिया अथवा नवल किशोर जी ने दिया मैं भी उसी मत का हूँ कि उस सिद्धान्त को रखने से हिन्दुस्तान के चुनाव में कम खर्चा हो रहा है अथवा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है,

अथवा पूंजीपतियों का पैसा नहीं लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तमाम चुने हुए लोग चाहे मंसद में हों अथवा विधान सभाओं में, वे सब जान-बूझ कर के एक असत्य बात का मत्थ ज्ञापन करते हैं, गपथ लेते हैं। इसलिए जिनके ऊपर देश का शासन चलाने का भार है, अगर वे इस जिम्मेदारी में अपने को बरी कर लें और असत्य बात कहने से अपने को बचा लें तो मैं समझता हूँ कि देश का कल्याण ही होगा और यह सही बात होगी। लेकिन, मान्यवर, राजनीतिक दल जो रुपया खर्च करते हैं, अपने दल के संचालन में, मैं समझता हूँ कि उसके दो अंग हैं। एक अंग तो वह है जो किसी राजनीतिक दल के दैनिक संगठन का कार्य होता है उसके लिए जो खर्चा होता है, आम तौर से उसका हिसाब जनरल बाडी में जाता है, जैसे कि ए० आई० सी० सी० और दूसरे दलों में भी होता है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उस रुपये का हिसाब देखता है। वार्षिक प्रतिवेदन जो दल का प्रस्तुत होता है उसमें उस रुपये का विवरण दिया होता है कि कितना खर्चा हुआ, कितनी आमदनी हुई। लेकिन चुनाव में जो रुपया खर्च होता है, हर पार्टी में, उसके व्यय का हिसाब ब्योरेवार उसमें नहीं आता और उसका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भी हिसाब-किताब नहीं करता। शास्त्री जी भी इस बात से सहमत होंगे कि कांग्रेस पार्लियमेंट्री बोर्ड जो खर्च करता है उसका कोई खर्चा पार नहीं किया जाता है, लेकिन जो बोनाध्यक्ष या अध्यक्ष होता है वह इसको जानता है, वह खर्चा ऐक्जीक्यूटिव के सामने नहीं आता। जो मश्रा इस विधेयक में है, मान्यवर, मैं समझता हूँ कि उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस दूसरे प्रकार के खर्च का भी हिसाब जनता के सामने आवे।

आजादी के पहले कांग्रेस दल जब था, मुख्यतः उसके हर प्रकार के रुपये का हिसाब उसमें आता था। लेकिन उसके

[श्री श्याम लाल यादव]

बाद जब से निर्वाचन की पद्धति चली, जनतन्त्र कायम हुआ, इस देश में, उस समय से वह रूपया इसमें शरीक नहीं होता। दल अपने खर्चों का हिमाव नहीं देते। अगर इस तरह का नियम बनाया जाए कि जो प्रकाशित न करे उसके लिए वह दण्ड रखा जाए जो पीताम्बर दाम जी ने मुझाया है, या वह दण्ड रखा जाए जो सरकार उचित समझे तो इसमें राजनीतिक वातावरण सुधरेगा। जब तक दण्ड नहीं होगा, इसको प्रकाशित करने या न करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरे देशों में, अमेरिका में खास तौर से इंग्लैंड में कुछ परम्पराएँ भी हैं, इंग्लैंड में, मान्यवर, हम सब जानते हैं कि जब वहाँ चुनाव होता है तो वहाँ का प्रधान मन्त्री अपनी निजी कार में निकलता है कन्वेंसिंग के लिए और पिछले प्रधान मन्त्री अपनी गाड़ी को स्वयं ड्राइव कर रहे थे। लेकिन हमारे देश की परम्परा दूसरी है। यहाँ का प्रधान मन्त्री शासन के द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का पूरा पूरा लाभ अपने चुनाव में उठाता है। वह सुविधा किमी दूसरे राजनीतिक दल को शामिल नहीं होती है।

SHRI OM MEHTA : If anything is used, it is paid for by the party. अब भी ऐसे जो साधन इस्तेमाल किये जाते हैं, उनके लिए पेमेंट किया जाता है।

श्री श्याम लाल यादव : आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं वह बात खुद ही कहने जा रहा था। वह जो व्यय होता है, उसका एक फारमूला आपने स्वयं बना रखा है कि अगर डिफेंस का हेलीकोप्टर या डिफेंस का प्लेन चलता है तो उसका उतना ही किराया होगा जितना इंडियन एयरलाइंस का एक आदमी का किराया होता है। यह एक फारमूला आपने बना रखा है। क्या आप दूसरे दलों के आदमियों को यह सुविधा देना चाहेंगे ?

मुझे जानकारी है जिस तरह से उसका किराया तय हुआ है।

तो अगर दूसरे दल के लोग

श्री ओम् मेहता : जो कुछ भी तय हुआ है वह हमारे लिए ही तय नहीं हुआ है। जब यह सत्ता में होंगे तो इनके लिये भी यही होगा। जब स्टेट्स में यह पावर में थे तो इनको वहाँ यह सब सप्लाय हुआ, यह सब सुविधा हुई।

श्री श्याम लाल यादव : वहाँ हवाई जहाज था ही नहीं।

श्री ओम् मेहता : जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो यू० पी० में उनकी ही सत्ता थी। राजनारायण जी दस-दस गाड़ियाँ ले कर चलते थे और हम हाथ जोड़े हुए खड़े रहते थे। हमें मालूम है।

श्री पीताम्बर दास : मेहता जी को आपत्ति इस बात की है कि राजनारायण जी दस दस गाली दे कर चलते थे और मह हाथ जोड़े खड़े रहते थे। लेकिन हाथ जोड़े इसलिए खड़े रहते थे जिससे कि गाली कम मिले।

श्री ओम् मेहता : मैं गाली की बात नहीं कर रहा हूँ गाड़ी की बात कर रहा हूँ।

दस-दस गाड़ियाँ ले कर चलते थे।

श्री श्याम लाल यादव : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह स्थिति है और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चुनाव में अपोजीशन और आपमें कोई बराबरी नहीं रह सकती, पलड़ा आपका ही भारी रहेगा। अगर उसी स्तर पर विरोधी दलों को भी वह सुविधाएँ उपलब्ध करायें तब तो हम मानने को तैयार हैं कि...

श्री ओम् मेहता : वह सुविधा प्राप्त है।

श्री श्याम लाल यादव : ठीक से चुनाव कराना चाहते हैं अन्यथा कोई ठीक चुनाव नहीं हो सकता है।

अब, अमेरिका की बात कही गई। वह तो बहुत दूर की बात है। अमेरिका में निक्सन हो या दूसरी पार्टी के मैकगवर्न हो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं, दोनों की एक शक्ति है, दोनों माधन-सम्पन्न हैं और कोई दूसरे से कम नहीं है और वहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं रही है जैसी कि हमारे देश में है कि रेडियो और टेलीविजन जो हैं उस पर सरकार का एकतन्त्र कब्जा है, उसमें विरोधी दल की बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा जाना एक आम बात है और सरकारी पक्ष का निरन्तर प्रचार करना रेडियो और टेलीविजन का काम है। तो विरोधी दल के आदमियों को मौका नहीं मिलता है जब कि अमेरिका में रेडियो और टेलीविजन प्राइवेट हैं, उतना ही टाइम मैकगवर्न को मिल सकता है और उतना ही टाइम निक्सन को मिल सकता है वशर्ते कि दोनों के पास उतने माधन हों और वह होते हैं उसमें कोई नावगबरी नहीं रहती है। तो वहाँ दोनों को समान अवसर है लेकिन यहाँ जनतन्त्र में समानता सरकारी दल और गैर-सरकारी दल में एक सी नहीं है। बड़ी चर्चा करते हैं कि समान अवसर होना चाहिए, सब को एक तरह से मौका मिलना चाहिए लेकिन जब चुनाव आता है तब इस बात को भूल जाते हैं और समान अवसर विरोधी दल को नहीं देना चाहते और इसीलिए जो विरोधी दल में हैं वह यह आग्रह करते हैं कि अगर आपका हिसाब किताब पब्लिश हो....

श्री ओम् मेहता : हम तो देना चाहते थे लेकिन आप में ही एग्जीमेंट नहीं हुआ, अगर एग्जीमेंट करते तो हम कब इंकार करते हैं। आप कोई फारमूला बनाइये तो उसको हम करें।

श्री नवल किशोर : आप ही कोई फारमूला बना कर रखिये।

श्री श्याम लाल यादव : आप तो वही बात कह रहे हैं कि जब दो बन्दर झगड़ते

हैं तो क्या होता है। दो बन्दर आपस में झगड़े और तीसरे ने कहा कि चलो हम फैसला करते हैं, जिसका पलड़ा भारी हुआ उसकी गेटी खा ली और फिर दूसरा पलड़ा भारी हुआ तो उसकी खा ली और इस तरह सब रोटी खा गया, न इनको मिली और न उनको मिली, तो आप यह दलील दे कर के किसी को अवसर देना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि विरोधी दलों को रेडियो और टेलीविजन का लाभ नहीं मिले।

श्री ओम् मेहता : यह ठीक नहीं है।

श्री श्याम लाल यादव : समाचारपत्रों में भी समान अवसर दलों को नहीं मिलता है। बहुत से दल हैं, बहुत से समाचारपत्र हैं जो कि दलों से सम्बन्धित हैं, वह उनका प्रचार कर सकते हैं लेकिन उनको भी पूरा अवसर नहीं मिलता है, हम देखते हैं कि जिस तरह की नीति सरकार की है और जो उसके साधन हैं उसके आधार पर निरन्तर आप उनका सदुपयोग अपने हित में करते रहते हैं। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ...

श्री नवल किशोर : सदुपयोग या दुरुपयोग।

श्री ओम् मेहता : नहीं, सदुपयोग।

श्री श्याम लाल यादव : मैंने कहा कि सदुपयोग अपने हित में करते हैं।

श्री ओम् मेहता : यू० पी० से यहां आ गये हैं जो यह कहते हैं ठीक ही कहते हैं।

श्री श्याम लाल यादव : मान्यवर, मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि सरकार समाचार-पत्रों को छोड़ती नहीं है, उन्हें भी आजादी नहीं है...

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, एक दिक्कत यह है कि ओम् मेहता साहब को कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं हुआ, इनको को तो चुनाव लड़वाने का मौका हुआ है।

श्री ओम् मेहता : ऐसी बात नहीं है।

श्री श्याम लाल यादव : ओम् मेहता जी की हम बहुत इज्जत करते हैं।

श्री नवल किशोर : हम भी बहुत मुहब्बत करते हैं।

श्री श्याम लाल यादव : और मुहब्बत भी करते हैं, उनकी बातों को हमेशा स्वीकार करते हैं लेकिन हम एक चीज एक बात, उन्हीं के सामने रखना चाहते हैं कि आप इस विधेयक की जो मूलभूत भावनाये हैं उनको समझने का प्रयास करिये तो मैं ममझता हूँ कि आप उसे जरूर स्वीकार कर लेंगे क्योंकि चुनाव में भी समानता होनी चाहिए और दलों को चलाने में भी समानता होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में दलेशन कमीशन ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार राजनैतिक पार्टियाँ चलती हैं, एक तरह से उसको आप रजिस्ट्रेशन ही कहिये, उनको यह सूचना देनी पड़ती है कि हमारा यह दल है, इस तरह के उसके सिद्धान्त हैं, यहाँ उसका दफ्तर है और ये उसके आफिसर बेयरर्स हैं, इस तरह की सूचना इलैक्शन कमीशन को देते हैं। आदेश ऐसे है। उसे पता है कि कौन से दल किस समय में काम कर रहे हैं, चुनाव के लिए भी उनकी सहमति आवश्यक है, लेकिन मान्यवर, वहाँ रजिस्ट्रेशन से कोई फायदा नहीं मिलता किसी दल को, सिम्बल अगर दे देता है तब स्वीकृत हो जाता है। मान्यवर, सिम्बल तब रिजर्व करते हैं जब उसको निश्चिन्त प्रतिष्ठत का बोट, चाहे आल इंडिया स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, मिलता है। तब वह उस दल को मान्यता देते हैं, तब सिम्बल रिजर्व करते हैं। वह बात दूसरी है। लेकिन जहाँ तक खर्च का सवाल है, राजनैतिक दलों के, इसमें बहुत अममानता है। यह ठीक है, सत्तारूढ़ दल को सुविधाएँ मिलती रहेंगी, बहुत से लोग उसे चन्दा देने रहेंगे लेकिन

उन तमाम चीजों का प्रकाशन करने से कोई बुराई तो होती नहीं कहा मैं चन्दा कितना आया। पता चल जाएगा कहा मैं कितना खर्चा हुआ। यह पता चलेगा और उस दल के लोगों को सुविधा होगी क्योंकि अक्सर मालूम होता है जिनके हाथ में पैसा है वह अपने चाहने वाले को, इष्ट-मित्र को ज्यादा पैसा दे दिए, उनका जो खर्च हुआ इलेक्शन में उनको ज्यादा सहायता कर दिया और दूसरों को नहीं दिया। ऐसा बहुत कुछ होता है। उसका भी बहुत लोगों को पता है...

श्री पीताम्बर दास : ऐसा है मिस्टर यादव कि ये अपने चाहने वालों को नहीं देते, जिनको ये चाहते हैं उनको देते हैं।

श्री श्याम लाल यादव : हाँ दोनों ही बातें हैं।

श्री ओम् मेहता : यह चाहने वाले की बात है इसलिए पीताम्बर दास जी को ज्यादा एक्सपीरियेन्स है।

श्री पीताम्बर दास : अगर मिस्टर ओम् मेहता अपने चाहने वाले को देने लगेंगे तो मेरा नम्बर भी आ जाएगा।

श्री श्याम लाल यादव : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अन्दरूनी मामलों में भी चार्ज लग जाता है। पिछले चुनावों में बहुत चन्दा इकट्ठा हुआ, कई सज्जन के जिम्मे रपया रखा गया, उसमें से उन्होंने कुछ घटा बढ़ा दिया। उनके विरुद्ध अप्रसन्न वातावरण हो गया। इसलिए राजनैतिक दलों का हिसाब किताब पूरा छपता रहे तो देश के हित में होगा और एक स्वस्थ परम्परा कायम होगी, उसका लाभ भी मिलेगा।

इसके साथ ही, मान्यवर, एक चीज और है। कई देशों में राजनैतिक दलों को सरकार की तरफ से कितनी ही सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, चुनाव में जो आवश्यक व्यय है उसके

लिए किसी राजनैतिक दल को किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। बोटर्स लिस्ट है, प्रचार के साधन हैं, जिससे उनका कम से कम व्यय हो इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से करायी जाती है।

इस मिलमिले में, मान्यवर, इलैक्शन कमिशन की बात हमारे देश में आती है लेकिन अभी हाल में आपने इलैक्शन कमिशनर नियुक्त किया जो कि आप जानते थे अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट के भी उम्मीदवार हैं, उसका आप समर्थन कर रहे थे। जब वे वहाँ पर जाने ही वाले थे तो फिर उन्हें इलैक्शन कमिशनर बनाने से क्या फायदा? नतीजा यह हो रहा है कि जल्दी जल्दी इलैक्शन कमिशनर हटे और एक के बाद दूसरा आदमी नियुक्त किया जाए, कोई म्यायी रूप से व्यक्ति नहीं रखा जाता।

(Time bell rings.)

इसके अलावा समाचारपत्रों की स्वाधीनता का भी हनन किया जाता है। यह भी एक कारण है। बहुत से राजनैतिक दल समाचारपत्रों को प्रभावित करने के लिए अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, अपनी मत्ता को बनाने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसके अलावा इसमें पक्षपात भी किया जाता है। मैं खाम कर कहना चाहता हूँ, उर्दू का जो ग्रंथ है जैसे सियासत जदीद है कानपुर का, लोरी मोर्चा और जन-वार्ता है वाराणसी का और दावत है दिल्ली का, ये अखबार 10,000 में ज्यादा की तादाद में छपते हैं लेकिन न उनको कोई सरकारी विज्ञापन देते हैं न उनके संवाददाताओं को मान्यता देते हैं न न्यूजप्रिन्ट देते हैं। ऐसा लगता है, आप भेदभाव की नीति बरतते हैं और उससे विरोधी दलों को समान अवसर आप नहीं देना चाहते।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं इस बिल की भावना का समर्थन करता हूँ।

DR. R. K. CHAKRABARTI (West Bengal): Sir, in a democracy election is a necessary evil. In the present century

if we look into the functioning of all the democratic countries of the world we find that the election expenses have gone up by leaps and bounds. In the election, we find, there are basic things. To propagate his ideas the candidate has to reach each individual voter. In the developed countries they have so many mass media, radio, television and other opportunities, poster-ing and so on. The cost of each of these media for propagating their ideas or to reach the individual voter has gone up very rapidly. It is specially so in our country where the electorate is very large. The places are far off from city centres. Some-time to reach one village only it takes about a day. There are communication and transport difficulties. And in order to stand for an election, each candidate will have to spend a huge amount of money. This has become a problem all over the democratic world. Everywhere the debate is going on as to how to meet these huge election expenses which each candidate or individual has to incur in order to stand for an election. In our country especially, we find that we are catering to a large population, most of whom are illiterate. So we will have to take the help of posters and we will have to try to reach them individually and personally to propagate our ideas and programme to the people. In order to do so, we will have to have resources, resources for communication, resources for transport, resources for posters, and so on. Also we find that there are certain drawbacks in conducting such elections because if the people are not literate, if they do not understand the ideals of the parties or of the candidates who are propagating, if they do not follow the language and their ideas, and also when such a large percentage of our people are living below the poverty line, it is very easy to buy votes from them by giving them some money which may be equivalent to their one month's or two months' earning. This way also election expenses have gone up rapidly.

Now, wherefrom will this money come? That is the big question. Wherefrom will the parties or the candidates get money? If we just attempt to collect one rupee or make a door-to-door collection, the condition of most of our people is such that they can hardly contribute any amount to the

[SHRI R. K. CHAKRABARTI]

party or the candidate whom they want to support. Naturally recourse is being taken to find money from some other sources. And when they get into the grip of some other sources who are contributing funds for the electioneering, then we find that there is a kind of agreement or obligation between the candidate and the donor. Now this is such an evil thing that a debate is now going on about the recent election in the United States. We find that unless a person is very rich, a multi-millionaire, like the Kennedy family or the Nixon family or the Johnson family, it is practically impossible for anybody to stand for an election.

Now I would like to take a few minutes to speak about defections from the different parties. In most of the democratic countries, it is an unwritten convention that if a person wants to defect from the party on behalf of which he has been elected, he should resign his seat first and then seek re-election on behalf of the other party or as an independent. But in our country we find that people simply cross the floor to go to another party or just change their seats from one place to another, and it is being accepted according to our regulations. I prefer that there should be a system where if anybody wants to defect from the party on whose ticket he has been elected, he should resign his seat first and then seek re-election for coming back to the Parliament or the Assembly.

I have a suggestion to make regarding funds for fighting an election. Personally I would prefer that there should be some sort of a federal fund for elections and from this federal fund, help should be given to the parties or the individual candidates according to their representation in the Parliament and in the Assemblies. The collection can only be made through their own primary members. I think all the parties have got lists of their primary members. So it will be very easy. If there are one lakh of primary members, there will be Rs. 1 lakh. The rest of the money must go to the parties or individuals from the Government election fund. Thank you.

SHRI BALACHANDRA MENON
 (Kerala) Sir, as our elections go by, the expenses increase, and I think the time will

not be far off when most of these who are honest enough to become public workers will find it difficult to come and stand for any election. This has come to that stage. Everywhere there is corruption. In election there is corruption. If it is a student who has to go to the college, he does not want to study but wants to pass the examination by buying the examination paper from the teacher. If it is a father who blackmarkets, when he comes back home, his son sees that and he realises what his father is. The amount of corruption that we have got for the last twenty-five years is something astounding. If only after the freedom fight we had really seriously taken up this matter when Mahatma Gandhi placed before the people what kind of a society we should have, if that had been taken up seriously—the kind of public life which he envisaged—now this sorry state of affairs would not have come to pass. Well, actually what happened? With this class-ridden society as it is today, everyone, every employer, all the vested interests, they are all trying their best to put their people in various political parties to get them returned. Sometimes it might be the same house which will put up candidates both for the Opposition as well as the ruling party. It is all possible now because they are more anxious to get their representatives elected. And such a thing is happening and it is going to take place. And therefore if it is the purse that is going to decide, the honest worker has very little place in our political life. And the time will not be far off when everybody will be kicked out from political life and when blackmarketeers and their representatives will get represented in various political parties. Whatever we may say about the programme, it is not the programme alone. This is bound to be so when the society which we are trying to build, in spite of all our protestations, is a society of exploiters. Is it anything more than that? What have we done during these twenty-five years and what are we going to do hereafter? That is the question before us. It is definite that the landlords, the vested interests, the blackmarketeers, the mill owners, such forces will have their representatives. I am afraid that unless somewhere a beginning is made we will not be able to stop this. This Bill is such a simple one. What does it say? At present

all that is required is that the candidate must submit the accounts. Now, we shall say let the party submit its accounts. If it has put up so many candidates, let us see how much money it has spent. If that is clear, at least the people will know that for such and such an election so much money has been spent by such and such party. They will come to know the reality. And the reaction will be at least ultimately they will know that this party is telling a lie. Every party must be doing it. But the maximum lie that a party places before the people will be revealed. The people at least will come to know what is happening. I would, therefore, think that some attempt must be made. It may not be successful. It may not be complete. It may not also be completely got implemented. But one thing is there. The Election Commissioner will at least know what the party has spent. If he knows it and he accepts it, the newspapers will publish it and the people will come to know of it. That at least will be done. Finally it is the people who will decide it and the people will find that here is a party which has spent so much. Then they will know how this party got so much money. They will know that all this money must be from those people, from the blackmarketeers, that this money must be coming only from those who are not prepared to prepare their accounts, that so much illegal money is there in this country. It is a good thing. During every election period, every one feels happy because some hidden money is coming out. I would, therefore, suggest that as a first step, this measure should be welcome to all, though this is not complete. We are at least able to exercise some sort of check somewhere by forcing the political parties to publish their accounts. That is good. Apart from this, I would request Shri Pitamber Das to keep one more thing in mind. Every political party must also publish how much it has spent for each constituency. That will help people to realise and find out whether the accounts are correct or not. I think a time will not be far off when all the money will be spent only by vested interests and their agents. This situation will help honest public life to come back. I would request all the Parties to accept this Bill because there is nothing wrong in accepting it. It is a good measure. This is at least an attempt to

make political Parties responsible for the expenses in elections. It is nothing more than that. I would, therefore, commend this Bill for the acceptance of the House.

SHRI SARDAR AMJAD ALI (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, I would have been very glad if I could extend my support to the Bill brought forward by my friend Shri Pitamber Das. But I cannot be one with him in so far as he wants to give certain powers to the Election Commission of India in regard to recognition and withholding of recognition of political Parties. My reason is very clear. I do not think that the Election Commission of India which is a Constitutional body can easily be converted into an institution of auditing firm. Election Commission of India is meant to conduct the elections of the country and to see that the constitutional right of franchise given to the people is being exercised in the way as the Constitution wants and to sit as the highest supervising authority over elections. By this Bill Shri Das is trying to convert the entire Election Commission into an auditing firm. We know that as a matter of course recognition to a political Party is being given by the Election Commission according to the provisions of the Representation of the People's Act. But the criterion of giving political recognition to a political Party under the Representation of the People's Act is the extent of support it gets from the people of this country and its influence in the political life of the country. Recognition should not be given on the basis of the accounts published or published by a political Party. As far as the activities of political Parties are concerned and as far as their funds are concerned, there are several other ways in which the funds and accounts can be scrutinised. In our country, so far as all democratic parties are concerned, their members are quite entitled to check up the accounts. The funds and accounts of these Parties are also audited by the firm of auditors. If there is any suspicion on their part regarding the mobilisation or sources of funds of the Parties, they can freely criticise the Parties. But, Sir, it should not be the activity of the Election Commission to scrutinise the accounts of a particular political party. Sir, it may be that in the mind of the Jana Sangh this has created some trouble as the rumour goes that some political party

Bill 1968

[Shri Sardar Amjad Ali]
inside the country is being financed by some foreign agency in the country. Therefore, Sir, some political strategy will have to be adopted so as to bring it to the notice of the people so that they are at least in a position to wash their hands clean.

Sir, I would like to submit that if honest workers are there, then definitely they would raise their voice against such things as we hear the voice of Shri Sondhu. We hear the voice of Prof. Sondhu and we hear the voice of Prof. Madhok. So also, Sir, there are people in other political parties who will raise their voice against the artificial or superfluous mobilisation of funds inside the political party itself. Therefore, Sir, I submit that this Bill should not be accepted.

Then, Sir, there is the question of the recent developments in Tamil Nadu. The new political party that has been formed now, the Anna DMK party, and its members are voicing their views in the most stringent language against some corrupt practices inside the ruling party, that is, the DMK. If there is an idea in the mind of any man or any honourable Member that this artificial mobilisation of funds in a political party can only be checked by its accounts being scrutinised and criticised by the Election Commission of India, I do not think, Sir, that it would be the only right way in which the activities of the political parties can be checked. The basic thing is that you should specify the amount in the Bill itself. But, Sir, unfortunately, the Bill moved by Shri Pitamber Das cannot be accepted because I find, it even in his party some people are there who voice their resentment over some of the corrupt practices inside their own party.

Then again, Sir, the Election Commission of India will have to look after the activities of the candidates who are actually given tickets by a political party. The Representation of the People Act provides that a candidate if he stands for election, if contests an election, under a party ticket, then he will have to submit his accounts to the Election Commissioner. For this, the Representation of the People Act and the Rules made thereunder provide that a certain amount can only be spent for the election. If he exceeds this limit, provisions are there in the Act which say that his membership may also be lost or that he

may be suspended from contesting any election for two years or three years or four years as the Commission thinks fit. I should, therefore, think that there is no utility in bringing forward such a legislation so as to curtail the activities of the Election Commission of India which is a constitutional body and whose function is to see that the people's right of franchise is exercised and that the election in the country is conducted in the way in which the Constitution wants it to be conducted.

Therefore, Sir, through this Bill if any attempt is made in this way or in any other manner to see that the Election Commission is turned into an institution like an auditing firm, for that simple reason I cannot be one with Shri Pitamber Das who has launched this Bill. The basic question is, Sir, whether a political party is formed by people who show sincerity and devotion to the ideology of the party which it professes. The main criterion should be the human element that the party comprises and so, Sir, by this way, by bringing forward some legislation, you cannot check any activity of a party that can be criticised from a moral stand point. So far as this Parliament goes on legislating for the whole country, to curtail the activities of the political parties and, in fact, to curtail the activities of the people at large, this Bill should not be accepted by this House.

So, therefore, Sir, I submit that Mr Pitamber Das will be much more generous, I think, to withdraw his Bill.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश)
माननीय, उपसभापति जी, हम लोगों का ऐसा खयाल था कि इस देश में जो 2 पार्टियाँ हैं, स्वतंत्र पार्टी और जन सघ पार्टी, ये

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI RAM SAHAI), in the Chair]

व्हेस्टेड इन्टरेस्ट की पार्टियाँ हैं इसलिए और उनको पैसा जूँकि ज्यादा मिलता है पैसे वालों में इसलिए ये इस पक्ष के होंगे कि हिसाब किताब कहीं छपा न जाए और जाहिर न किया जाए, और यह भी खयाल था कि कांग्रेस जो समाजवाद की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और पूँजीपतियों के खिलाफ अपना खयाल रखती है और देश में समाजवादी

व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, यह पार्टी जरूर चाहेगी कि पैसे वालों की पार्टियाँ स्वतंत्र पार्टी और जन सच हैं उनकी पोल खोल दी जाए कि ये कहा से पैसा लेते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है जनसंघ के नेता एक प्रस्ताव ले आए हैं, एक विधेयक पेश किए हैं कि हर एक पार्टी को अपना हिसाब किताब छापना चाहिए।

श्री ओम् मेहता : मैं आपकी इन्फार्मेशन के लिए बता दू कि स्वतंत्र पार्टी अब हमसे ज्यादा मोशनलिज्म लोगों को बताती है। जो कहते हैं वह करते भी हैं कि नहीं यह दूसरी बात है।

श्री नवल किशोर : इसका मतलब यह है कि आपका समाजवाद झूठा है या उनका झूठा है।

SHRI PITAMBER DAS : Mr. Om Mehta, you probably know that unlike poles always attract each other, and like poles always repel each other.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : एक बात मैं बड़ी अदब के साथ ओम् मेहता से कह दू कि स्वतंत्र पार्टी कितना ही कसम खाकर कहे हम समाजवाद चाहते हैं हम यकीन नहीं कर सकते हैं और मेरा खयाल है कि इस तरह की कसम खाने के लिए वे तैयार भी नहीं हैं। वे अपना कहते रहे हम समाजवाद चाहते हैं लेकिन मैं उनकी अटर्नेन्सेज में, उनके नेताओं की वाणी में समाजवाद नहीं पाता हूँ। तो मैं यह कह रहा था कि आज हमको वह अजीब व गरीब चीज देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक की खिलाफत कर रही है।

श्रीमन् पच्चीस तीस साल पहले हम यूनिवर्सिटी यूनियन का चुनाव लड़ते थे, उसके प्रेसिडेंट और एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर्स का तो कुल खर्चा 20-25 रु० हम लोग अपने साथियों में बंदोबस्त कर लेते थे, एक नोटिस छपवा कर, 5 रु० हजार नोटिस के हिसाब से तीन-चार-पाच हजार

बाट देते थे, उससे ज्यादा खर्च नहीं आता था और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, आपने देखा, कि स्टूडेंट्स यूनियन के चुनावों में लाख-लाख रु० खर्च हो रहे हैं और शराब बह रहा है। दिल्ली शहर के कितने मकान लिए गए थे उनके आफिसेज के लिए, उसकी कोई सीमा नहीं। इसमें कोई एक ही पार्टी नहीं थी, दोनों ओर से पैसे की व्यवस्था पार्टियों की ओर से की गई थी जो कि उन विद्यार्थियों के, जो उम्मीदवार थे, हिम्मत और बूते और औकात के बाहर बात थी। मगर पार्टियों ने वह सब बिया और उनको हम दोष देते हैं। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में चुनाव अमरीका के ही पैटर्न पर होंगे और आने वाले दस पाच सालों में कोई भी साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ने की तो कल्पना कर ही नहीं सकता है। या तो बिड़ला लड़ेगा या विड़ला का बेटा या एजेन्ट चुनाव लड़ेगा, उससे दूसरा लड़ नहीं सकता है। आगे आने वाले दिनों में जिस तरह चुनाव अमरीका में होते हैं निक्मन और जानसन अरबों रुपया चुनाव में खर्च करने हैं वह हालत हमारे देश में भी होने वाली है और इसका नतीजा यह होगा कि कोई भी साधारण आदमी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा। हमने पिछले लोक सभा के चुनाव में देखा कि एक एक उम्मीदवार का पार्टी की ओर से एक लाख रुपया नकद जीप पोस्टर और दूसरे अखराजात दिये गये। मैं अपने नौजवान दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि जो साधारण हैमियन के हैं कि आज तो आप सत्ता पार्टी में हैं, टीक है और सत्ता वाली पार्टी जो है वह आपको पैसा देगी और आप चुनाव आसानी के साथ लड़ लेंगे, लेकिन भविष्य में जब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी वाले, जिनके बारे में आप कहते हैं कि इन लोगों के पास मी० आई० ए० का पैसा आता है, अगर ये लोग आप से बाजी मार ले गये सत्ता में आ गये, तो फिर आप की क्या गति होगी। आज हमारी

Bill, 1968

[श्री नानेश्वर प्रसाद शाही]

जो दुर्गति हो रही है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ने की बात मोच नहीं सकती है क्योंकि इतना पैसा चुनाव लड़ने के लिए कहा से आयेगा अगर किसी और पार्टी ने सी० आई० ए० या किमी और क्षेत्र से पैसा लेकर हरा दिया तो फिर आपकी क्या हालत होगी।

हमारे चौधरी साहब मेरी इस बात से इतिफाक करेंगे कि आज तक तो हमारे देश में चुनाव के लिए जो चन्दा आता है वह या तो टाटा द्वारा या विडला द्वारा किसी पार्टी को एक करोड़ रुपया दे दिया या किसी पार्टी को दो करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन आज हालत यह हो रही है कि विदेशों से चुनाव लड़ने के लिए रुपया आ रहा है और विदेशों का रुपया चुनाव में बंट रहा है। कहीं पर सी० आई० ए० ने दखल दिया और कहीं के० जी० बी० ने दखल दिया और इस तरह से विदेशों का रुपया आकर के इस देश के चुनावों में खर्च हो रहा है, तो फिर इस देश का क्या होने वाला है, यह तो भगवान ही जान सकता है। अगर हम हिसाब लगा कर रखें, तो हमारे लोक सभा में 500 सदस्य हैं। अगर एक लाख प्रति उम्मीदवार का भी हिसाब लगाये तो 5 करोड़ रुपया हुआ। अगर 2 लाख प्रति उम्मीदवार के हिसाब लगाये तो 10 करोड़ रुपया हुआ और 3 लाख प्रति उम्मीदवार का हिसाब लगाये तो फिर 15 करोड़ रुपया हुआ। अगर इतना रुपया रूस या अमरीका से आपके चुनाव में आ गया तो ये लोग अवश्य देश के ऊपर हावी हो जायेंगे। अगर कोई मुल्क इस देश के चुनाव में 15 करोड़ रुपया खर्चा करता है तो फिर आपकी देश की सत्ता गई और फिर वह सत्ता रूस, अमरीका या किसी और के हाथ में चली जायेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों की ओर आप सब लोगों को ध्यान देना चाहिये और उसकी कल्पना करनी चाहिये।

मुझे तो ताज्जुब हुआ जब हमारे ओम्

मेहता जी ने भोला पासवान जी को जो एका माधारण आदमी है उनको डम बिन के बिलक बोलने के लिए खड़ा कर दिया।

श्री भोला पासवान शास्त्री : हमने यहां पर बकालत नहीं की है, हमने अपनी राय कही है। हम दिल से चाहते हैं कि चुनाव में रुपया न बड़े और जो ईमानदारी से चुनाव में रुपया नहीं बहायेंगे उनको खड़ा किया जाना चाहिये।

श्री नानेश्वर प्रसाद शाही : पासवान जी ने यह दलील दी कि उम्मीदवार चुनाव में जो खर्चा करता है उसका उसे हिसाब देना पड़ता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि उम्मीदवार जो हिसाब देना है वह गलत हिसाब देना है और पार्टीज जो अपना हिसाब छापती हैं वे गलत हिसाब छापती हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव ऐक्ट में उस धारा को निकाल दिया जाय जिसमें उम्मीदवार को हिसाब देने के लिए कहा गया है। यह दलील नहीं है। पाप जो है वह बड़ा शक्तिशाली है, बुराई जो है वह बहुत जोरदार है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और इसलिए यह दलील देना कि बुराई को बांधने के लिए कानून मत बनाइये, वह असफल होगा, यह कोई दलील नहीं है। आप कानून तो बनाएंगे ही, आप कोशिश तो करेंगे ही, आज नहीं तो कल कामयाबी होगी। मैं सब सदस्यों में निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर होगा क्या। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो मोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं उनके सामने समस्या आज है कि या तो हम लोग यह फैसला करें . . .

श्री सुलतान सिंह हरियाणा) : साहू जैन के पास जाएं।

श्री नानेश्वर प्रसाद शाही : हमसे मत कहो, हम जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो, हमसे कहोगे तो हम सब खोल देंगे कि तुम कितने गन्दे हो। इसलिए यह समस्या है—मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ—कि

या तो राजनीति छोड़ कर अलग हो जाएं क्योंकि आज डेमोक्रेटिक सेट-अप, राजनीति के माने चुनाव होता है, कोई भी व्यक्ति हो वह या तो असेम्बली का या लोक सभा का चुनाव लड़ेगा और चुनाव का जब यह माहौल है कि लाख रुपए से कम में चुनाव लड़ने की कोई कल्पना नहीं कर सकता तो कैसे कोई चुनाव लड़ेगा— या आपकी पार्टी में आ जाए या स्वतंत्र पार्टी में चले जाए, चुनाव लड़ना है, लाख रुपया प्राप्त करना है उसके लिए तो आपकी पार्टी में जाएं या स्वतंत्र पार्टी में जाए। किसी गरीब आदमी के लिए और चारा नहीं है अगर वह राजनीति में जिन्दा रहना चाहता है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ऐसे मसलों पर पार्टी की सतह से ऊपर उठ कर विचार करें। आज आप सत्ता में हैं, कल नहीं हो सकते हैं, कल जनसंघ के लोग हो सकते हैं, उस हालत में क्या करेंगे। आप 25 साल पहले की बात को मोचिए जिस समय पुरानी कांग्रेस थी। क्या उस समय कोई सोच सकता था कि इन चुनावों में लाखों रुपए खर्च होंगे। मैं किसी एक को दोष नहीं देता होड़ लगी हुई है, आप कही से ले आते हैं, कोई दूसरा कही और से ले आता है। इस होड़ में या तो आदमी अपना विचार बेच दे पार्टी के चन्द नेताओं के हाथ में और उन पार्टियों के चन्द नेता अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करें उस पार्टी के लोग चुपचाप भेड़ की तरह पड़े रहें, अगर पार्टी में रहना है तो उनकी हुकूमत उन्हें मजूर करनी होगी। अपना देश अमरीका नहीं है, अपना देश ब्रिटेन नहीं है, अपने देश में रुपया कितना प्रभावशाली है यह हम सब जानते हैं। आप जानते हैं कि अपने देश में रुपए के लिए इज्जत विकती है। आप लाख कोशिश करें, आपने चाहे जितने कानून बनाए, रुपए-दो-एपए के लिए जिस देश की महिलाओं को इज्जत बेचनी पड़ती है पेछ भरने के लिए उस देश में वोट को बेचने के लिए आदमी कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा यह आप समझ सकते हैं। 10 साल के अन्दर

दो चुनाव हुए हैं और लोगो ने देखा है जनवरी-फरवरी में चुनाव के दिनों में गाड़ियों पर कम्बल लद कर चले आ रहे हैं, साड़ियां लद कर चली जा रही हैं, कपड़े लद कर चले जा रहे हैं। मालूम नहीं होता कि आखिर यह कहाँ से आ रहा है और किस तरह बट रहा है गांव की गरीब जनता के लिए। गरीब जनता की तो बात क्या, आप कनाडा प्लेस में देखिए 700-800 रुपए पाने वाले लोग 20 रुपए के कोट खरीद रहे हैं। बोट ले कर हमको साड़ी दे दे, कबल दे दे या 10 रुपए दे दे तो हम बड़े ऐहसानमंद होते हैं। अपने देश की जो गरीबी है, आर्थिक स्तर है, उगमें रुपये के मुकाबले में कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते हैं राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि साहू जैन, जयपुरिया, मोहन या फला कभी कल्पना करते थे कि भारतीय संसद् में आ करके बैठेंगे? केवल रुपये के बल पर यहाँ आकर बैठ गये।

श्रीमन् मैं कह रहा था कि थोड़ा पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर इस पर सोचिये, अपने देश के हित में सोचिये कि अगर इस तरह की बन्दिश नहीं होगी तो क्या होगा इस देश का? इस देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। यहाँ तो रुपये वालों की व्यवस्था चलेगी। मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि उम्मीदवार तो अपना हिसाब दे देता है, किन्तु उस उम्मीदवार के लिए पार्टी जो 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपया खर्च करती है वह इसमें नहीं आता। पोस्टर जो लाखों छापे जाते हैं, वह इसमें नहीं आता। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि सौभाग्य से चौधरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इस विभाग के मिनिस्टर हैं, ईमानदार आदमी हैं, वह इस पर गौर करेंगे पार्टी के हित की दृष्टि से नहीं, देश के हित की दृष्टि से कि ऐसा बिधेयक स्वीकार होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह का विधेयक तो सरकार की ओर से आना चाहिए। आज

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

नहीं तो कल जब आप देखेंगे कि आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, जब आप पायेंगे कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो आप स्वयं ऐसा बिल लायेंगे। अच्छा हो कि ऐसा विधेयक सरकार की ओर से आये और अगर किसी वेस्टेड इंटरैस्ट या पार्टी के नेता ऐसा विधेयक लाये तो आपको तो चार कदम आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए कि यह तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ा मार रहा है। मैं श्री ओम मेहता जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी पार्टी के लोगों में कहे कि इस बिल को सपोर्ट करें।

श्री मुलतान सिंह : श्रीमन्, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि बाबू पीताम्बर दास जी बहुत सुलझे हुए हैं उन्हें यह बिल इस हाउस में लाना ही नहीं चाहिए था। उनको याद होगा पिछली लोकसभा के चुनाव के बाद जनसंघ पार्टी ने अपना एक स्टैंड लिया था और वह स्टैंड यह था कि भारत की जनसंघ पार्टी दुनिया को यह बताने की कोशिश में लगे थी कि हिन्दुस्तान का इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में आनेस्ट नहीं है। मधोक साहब ने खुलकर इत्जाम लगाया था और यहां तक जनसंघ वाले कहते थे कि चुनाव के अन्दर बैलट पेपर रशिया में छपकर आये। मुझे पता नहीं कि बाबू जी इस बिल को किम मकसद से लाये हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि इस बिल को शायद इन विचारों से लाये हों कि दुनिया को यह बताये कि हिन्दुस्तान के अन्दर प्रजातंत्र जो है यह ईमानदारी में फंक्शन नहीं कर रहा और हिन्दुस्तान के अन्दर जो सी० आइ० ए० काम करना चाहती है, उसका सबसे बड़ा काम यही है कि दुनिया को यह बतायें कि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र झूठा है, गलत है, बाबू पीताम्बर दास जी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर

रूपये के बल के ऊपर हिन्दुस्तान में कोई हुकूमत करे तो इंदिरा गांधी नहीं कर सकती टाटा हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री बनेंगे।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : या बिड़ला बनेंगे।

श्री मुलतान सिंह : खुद बाबू जी को इस बात का तजुर्बा है, महावीर त्यागी जी भी बैठे हैं।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : आपने यह बात कह दी कि मैं इससे एग्री करूंगा कि अगर रूपये के बल पर हुकूमत चले तो टाटा प्रधान मंत्री बनेंगे, इंदिरा गांधी नहीं बनेंगी लेकिन चीज यह है कि टाटा जैसे जो रूपये वाले हैं उनकी स्ट्रेटजी यह रहती है कि वे प्रधान मंत्री स्वयं नहीं बना करते वह अपने पैसे के बल पर दूसरे को बनाते हैं।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : अब तो मुलतानी राज होगा, मुलतानी राज।

श्री मुलतान सिंह : त्यागी जी और बाबू पीताम्बर दास जी दोनों को इस बात का इल्म है कि पिछली बार जब राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स का मामला आया और बैंकों के नेशनलाइजेशन का मामला आया उस वक्त मारे हिन्दुस्तान के पूजीपति और मारे हिन्दुस्तान के राजा महाराजा और आपका एलाइड संघ—आपका पांच छः पार्टियों का मिला जुला जो संघ था उसका क्या नाम लिया जाये—वह मारे हिन्दुस्तान में एक थे और आप लोगों ने बिड़ला को खड़ा किया राजस्थान में और हमारे ऐसे एक साधारण किसान श्री शिवनाथ सिंह के मुकाबिले में उनको खड़ा किया, आपने टाटा को खड़ा किया बम्बई में हमारे भजदूर कार्यकर्ता के मुकाबिले में, और बाबू जी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रूपये के बल पर कामयाबी होती तो फिर शिवनाथ सिंह जी लोक सभा में नहीं आते और टाटा साहेब बम्बई में इलेक्शन नहीं हारने। मैं इस बात को कहने में गर्व महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता रूपय को ठोकर मारती है, उन्होंने साबित किया

है कि हिंदुस्तान के लोग प्रजातंत्र में अस्था रखते हैं। राजा महाराजा पूजीपति साहूकार बिडला और डालमिया जनसंघ और स्वतंत्र और जीरो काग्रेस की पुश्त पर आये लेकिन जनता ने उनको बुरी तरह से ठुकराया और यह जनता ने विश्वास किया कि इंदिरा गांधी ही देश के अन्दर जनतंत्र को कायम रख सकती है। बाबू जी, जिस वक्त यह तजुर्बा हो गया तो फिर यह बिल लाने की जरूरत नहीं थी। और आप खुद कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग स्वतंत्रता से काम नहीं करता तो फिर यह हिसाब किताब की बात होगी तो कैसे स्वतंत्र हो जायेगा। बाबू जी, आप अपना एक रास्ता अपनाइये। हां, अगर आप यह बिल लाते कि हिंदुस्तान में पोलिटिकल पार्टीज को मान्यता देने वक्त यह देखा जाये कि वह पोलिटिकल पार्टी समूचे भारत को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है तो कोई चीज थी क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज देश में प्रजातंत्र को रुपये पैसे से खतरा नहीं है, साहूकारों से खतरा नहीं है, आज अगर इस देश को कोई खतरा है तो नामनिहाद आल इंडिया पार्टी से है। अखिल भारतीय जनसंघ है और दिल्ली से आगे हिंदुस्तान में कोई उसका नाम नहीं लेता और इलेक्शन कमीशन ने रिकगनिशन दे रखी है कि भारत की एक पार्टी है, एक राजनैतिक पार्टी है। उसको रिकगनिशन है। अकाली दल है, पंजाब से आगे जिसका कोई नाम नहीं जानता और इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दे रखी है हिंदुस्तान की एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। भारतीय क्रांति दल है जिसको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से आगे कोई नहीं जानता और उसको मान्यता दे रखी है हिंदुस्तान की एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। द्राविड मुन्नेत्र कणगम् है जिसको कि देश के अन्दर कोई नहीं जानता, सिर्फ तमिलनाडु की पार्टी है और इसको मान्यता दे रखी है हिंदुस्तान की पोलिटिकल पार्टी के रूप में। अफमोम होता है। बाबू जी, आपको बिल यह लाना था कि जिस पार्टी की फालोडिंग मारे भारत में नहीं है उस पार्टी को, उन पार्टियों

का आल इंडिया नेबिल पर पोलिटिकल रिकगनिशन नहीं मिलनी चाहिये। आज खतरा क्या है देश को, कि रीजनल पार्टियां आल इंडिया रूप धारण कर इस देश को इंटीग्रेट करना चाहती हैं—एक प्रांत के अंदर अकाली आ जाये, दूसरे प्रांत में जनसंघ आ जाये, तीसरे प्रांत में डी० एम० के० आ जाये, चौथे प्रांत में बी० के० डी० आ जाय, एक प्रांत में स्वतंत्र आ जाये, एक प्रांत में झाड़खंड आ जाये,—ईमानदारी से बताइये, इस देश का नक्सा क्या बनेगा? वह नहीं बनेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई इस देश में, कहीं सिराजुद्दौला का राज था, कहीं पेशवाओं का राज था, कहीं टीपू सुलतान का राज्य था। ईस्ट इंडिया आई और सारे देश पर कब्जा कर लिया। अगर इस देश के जनतंत्र को कोई खतरा है, पोलिटिकल खतरा है, तो वह सबसे बड़ा ये जो रीजनल पार्टियां राष्ट्रीय रूप लेकर आती हैं, उनसे है। रुपये से हिंदुस्तान की जनता बिलकुल नहीं घबड़ाती हिन्दुस्तान का गरीब समझ गया है इस बात को कि राजा महाराजा किसी की पुश्त पर हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता जानती है टाटा-बिडला किसकी पुश्त पर हैं और उसी बात का नतीजा निकला। आप देख लें पीताम्बर दास जी, अपना ही खाता देख लें, प्रिवी पर्स में वोट करने से पहले आपकी ताकत कितनी थी, अब कितनी है? बैंक नेशनलाइजेशन के पहले आपकी कितनी ताकत थी, अब कितनी है? उससे आपको खुद अदाजा हो जायेगा कि भारत का गरीब रुपये के चक्कर में नहीं आता है, हिंदुस्तान का गरीब स्लोगन्स की चक्कर में नहीं आता है यह दूसरी बात है कि जहां हिंदू है वहां हिंदू राज का नाग देकर उनको बेवकूफ बना सकते हैं, जहां सिख बसते हैं वहां मिखिस्तान का नारा देकर अकालियों को बेवकूफ बना सकते हैं, जहां तमिल लोग बसते हैं उनको नारा देकर बेवकूफ बना सकते हैं, तो बाबा जी आप चाहें तो अगले सेशन में या इस सेशन में ऐसा

[श्री सुल्तान सिंह]

विधेयक लाओ कि जिस पार्टी की ब्राचेज सारे भारत में न हो उस पार्टी को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये। राष्ट्रीय पार्टी वही है जिसकी ब्राचेज सारे भारत में फकशन करती हैं। उसके बाद अगर कांग्रेस चली जाये और आप में से कोई ऐसी पार्टी आ जाये ऐसी सूरत में मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो देश की एकता को खतरा नहीं है लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वह यह है कि आज कम्युनिस्ट भी कांग्रेस को गाली देते हैं, सोशलिस्ट भी कांग्रेस को गाली देते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं तो आपकी तारीफ करता हूँ।

श्री सुल्तान सिंह : माफ कीजियेगा, मैं एग्जाम्पल के लिये कहता हूँ—वह भी गाली दे, महावीर जी की जीरो कांग्रेस भी गाली दे, तो थोड़ी देर के लिये सोचो, अगर कांग्रेस चली जाए या रूलिंग कांग्रेस चली जाए, इंदिरा गांधी की कांग्रेस चली जाए, आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर देखो, क्या आप इस देश को एक इंटिग्रेटेड शासन दे सकते हो, इस देश की एकता को कायम रख सकते हो? क्या इस देश का वही रूप नहीं बना देगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त में था। तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दर्खास्त करूंगा बाबू पीताम्बर दास जी से।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन् यह दलील अंगरेज लोग भी देते थे कि हमने इस बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक कर दिया।

श्री सुल्तान सिंह : उपासभाध्यक्ष महोदय, अंगरेज ठीक दलील देते थे और महात्मा गांधी ने उस दलील को ठीक माना था। महात्मा गांधी ने कब काम शुरू किया, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के अंदर कहा—अंगरेजो भारत छोडो।

श्री पीताम्बर दास : आप शाही साहब के चक्कर में कहा बहक गये? आप तो हमसे दर्खास्त करने वाले थे। बह करिये।

श्री सुल्तान सिंह : गांधी जी ने लगातार एक ही काम किया है। कभी चम्पारन का सत्याग्रह, कभी बार्दोलोई का सत्याग्रह, कभी नमक का सत्याग्रह कभी खिलाफत की तहरीक। लगातार कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस की ब्राचेज को सारे भारत में भेजा। जिस रोज कांग्रेस सारे हिंदुस्तान में फैल गई और महात्मा गांधी को यकीन हो गया...

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हमारे लायक दोस्त महात्मा जी का नाम ले रहे हैं, तो महात्मा जी ने मरने के पहले यह कहा था कि कांग्रेस को भग कर दे। अगर कांग्रेस को भग कर दे तो देश का कल्याण हो जाए।

श्री सुल्तान सिंह : उम वक्त जब सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की तजीम पहुची और कांग्रेस को यकीन हो गया कि अंगरेज के जाने के बाद हम देश को सभाल सकते हैं, तब क्विट इंडिया का नारा लगाया और आप सोशलिस्ट पार्टी के माने भाग्न में चार मेम्बर होंगे और कहते हैं कांग्रेस को हटाइये। ठीक है, मारे भारत में आपके पांच या चार मेम्बर होंगे। वे कहते हैं कांग्रेस को हटावो। कांग्रेस हट जायगी तो फिर देश में बनावोगे क्या?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभाध्यक्ष, महोदय आपकी बात की तार्ईद करता हूँ, जो दलील आप दे रहे हैं उसी तरह की दलील अंग्रेजो ने भी दी थी। अंग्रेजो ने गांधी जी से कहा कि भाई हिंदु और मुसलमान इतने लड़ रहे हो, खून का दरिया बहा रहे हो और फिर भी तुम कहो हम से कहते हो चले जाओ। गांधी जी ने कहा, तुम चले जाओ और हम आपस में तय कर लेंगे।

श्री सुल्तान सिंह : यह तजुर्बा हो चुका है। पंजाब में हटे तो फिर क्या हुआ? हरियाणा में हटे, तो फिर क्या हुआ?

श्री पीताम्बर दास : श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है। चौधरी साहब तो बोले चले जा रहे हैं और मैं यह जानता हूँ कि बे जितना

चाहे बोल सकते हैं, लेकिन पांच बजे हाउस खत्म हो जायगा और उसके पहिले मिनिस्टर साहब को बोलना है और मुझे भी जवाब देना है। इस बात का ध्यान रखकर अगर वे अपना भाषण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सुलतान सिंह : मेरी दरखास्त है कि इस बिल को आप वापस ले ले और फिर से ड्राफ्ट करें। आप तो एक तगड़े वकील हैं और आप दूसरा बिल ला सकते हैं और उस बिल में आपको यह करना चाहिये कि जिन पार्टियों की शाखाये मारे देश में फैली न हो उनको मान्यता न दी जाय।

जहां तक हिसाब किताब की बात है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुले हुए हैं। अगर कोई समझता है कि इस चुनाव में ज्यादा खर्चा हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। मुझे इस बात का दुख है कि शाही जी ने हमारे जय-पुर्गिया जी और श्री मोहन का नाम लिया और उनके खिलाफ बात कही। वे डम हाउस के एक आनरेबल मेम्बर हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई पैटीशन नहीं आई। आज सदन का एक आनरेबल मेम्बर उनकी शान के खिलाफ कोई बात कहे, तो मैं डम बात को दखल मानता हूँ कि उसे इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये। अगर हम कोई गलती करते हैं, कृपया ज्यादा खर्च करते हैं, तो आपका रिश्ता राजा महाराजाओं के साथ है और आप इस चीज को कोर्ट में ले जा सकते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो रुपये वाले लोगों के लिये हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा साधारण आदमियों के लिये बन्द है, गरीबों के लिये बन्द है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मगर मरीब लोग नहीं जा सकते हैं।

श्री सुलतान सिंह : इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बिल को वापस ले लें, और इसके बदले एक नया बिल लायें। अगर आप इस तरह का बिल लायेंगे जो सब

को मंजूर होगा, तो हम सब आपके बिल का समर्थन करेंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY) :

Mr. Vice-Chairman, in this debate, a majority of the Members who participated spoke in Hindi. Therefore, with your permission and with the permission of my friends who spoke in English, I would like to reply in Hindi.

मान्यवर, पीताम्बर दास जी ने जिस उद्देश्य से इस बिल को पेश किया है उसके साथ कोई विवाद नहीं है। वे यह चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हम लोगों के राजनीतिक जीवन में ईमानदारी और सच्चाई आए। इस बात से अगर कोई विरोध प्रगट करता है तो मैं समझता हूँ कि वह राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोलता है। मैं कम से कम उनकी इस भावना से सहमत हूँ। पर देखना यह है कि क्या यह बिल उनकी इच्छा और उनकी भावनाओं की पूर्ति कर सकता। इस बिल की योजना के अनुसार उन्होंने माग की है, कि हर पार्टी सालाना हिसाब छपवाये और दफा 4 में उन्होंने यह चाहा है कि अगर ऐसा न हुआ तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी की मान्यता अस्वीकार कर दे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में यह माना है कि हमारे संविधान में राजनीतिक पार्टी जैसी किसी चीज की मान्यता नहीं है। यह बात सही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन मिम्बलस आर्डर में पार्टियों को माना है? इसके अलावा पार्टियों की मान्यता पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है और न कही और है। जैसा हमारे भाई अमजद अली ने कहा, इलेक्शन एक निश्चित कार्य के लिये बनाया गया है और वह कार्य है चुनाव कराना, चुनाव का संचालन करना। यह कहां तक उचित होगा कि उस कार्य के साथ इलेक्शन कमीशन को यह काम भी, जैसा कि श्री पीताम्बर दास जी ने सुझाया है, दे दिया जाय। मान लीजिये यह काम दे भी दिया जाय और कोई पार्टी

[Shri Niti Raj Chaudhury]

अपना हिसाब पेश न करे तो होगा क्या । इलेक्शन कमीशन उसको किस बात के लिये मान्यता नहीं देगा । मिम्बल्स देने के लिये । उससे क्या समस्या हल हो जायगी ? आज सप्ताह में जैसी गतिविधियाँ हैं उनमें पोलिटिकल पार्टी से हिसाब माँगने पर वह हिसाब भी दे देगी और पैसा भी अन्धाधुन्ध खर्च होगा । अभी अमरीका में चुनाव हुआ । वहाँ प्रतिबन्ध है कि एक आदमी अमुक राशि से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता इसलिये वहाँ जोनल कमेटीयाँ, रीजनल कमेटीयाँ बनाई गई । अपने यहाँ भी वार्ड कमेटीज, विलेज कमेटीज बनाई जा सकती हैं, उनको पैसा दिलाया जा सकता है सिर्फ़ इसलिये कि पार्टियों का नाम न हो । इस तरह से सब हो सकता है । इससे जो बीमारी मिटाने के लिये पीताम्बर दास जी बिल लाये वह बीमारी नहीं मिटेगी । ऐसी बात नहीं है कि यह बात शासन के मामले नहीं है । चौथे आम चुनाव के पश्चात् चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने सिफारिश की थी, उनकी रिपोर्ट से मैं उद्धरण पढ़ रहा हूँ :-

"While political parties cannot be debarred from spending even during the election period on party propaganda, generally they may be made to account for any expenses incurred by them in promoting the election on particular candidates."

इसके पश्चात् उटकमंड में सितम्बर 68 के महीने में प्रदेश भर के इलेक्शन कमिश्नरों की मीटिंग हुई थी । वहाँ भी ऐसी ही बात हुई थी और ये सब सिफारिशें शासन के पास आईं । चुनाव के पश्चात् शासन ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार इस सदन की और दूसरे सदन की एक संयुक्त समिति बनाई गई जिसके सामने चुनाव संबंधी सब विषय पेश हुये । उस समिति के मामले यह भी विषय था कि क्या पोलिटिकल पार्टियों के हिसाब छपवाये जायें और क्या इनके छपवाने में जो समस्या आज हमारे सामने है वह हल हो जायगी । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जो इस

सदन के सामने रखी जा चुकी है, पैरा 17.3 में यह सिफारिश की है :-

"The Committee have also considered the recommendations made by the Election Commission in their reports to the effect that the political parties might also be called upon to account for the expenses incurred by them for the election campaign of their candidates. After careful scrutiny the Committee have come to the conclusion that due to various practical difficulties it was not possible to pursue such a course."

श्री महावीर त्यागी : यह यूनेनीमस नहीं थी ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : त्यागी जी, मैं बता रहा हूँ । यह जो राय है इसके खिलाफ श्री महावीर त्यागी ने पूर्ण रूप से, श्री अटल-बिहारी वाजपेयी और श्री आडवाणी जी ने आंशिक रूप में कुछ आपत्ति की है, जो कि नोट आफ डिस्टेंस के रूप में उस रिपोर्ट में दी गई है । इतना ही नहीं कि उस कमेटी ने इसका विरोध किया है, उसने ठोस सुझाव भी दिए हैं और कमेटी की राय के अनुसार वह सुझाव माने जायें तो यह जो प्रश्न पोलिटिकल पार्टी के खर्च का और खर्च पर प्रतिबन्ध लगाने का है यह सब खत्म हो जाय । उस कमेटी का जो सुझाव है वह उसकी रिपोर्ट के पैरा 17 के सब-पैरा 1 में दिया गया है । चूंकि वह बहुत लम्बा है इसलिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता । उस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जा चुकी है, हर एक माननीय सदस्य के पास है और मैं यह समझता हूँ कि हर माननीय सदस्य ने उसको पढ़ लिया होगा । उस कमेटी की रिपोर्ट इस समय शासन के सामने है और उसके आधार पर विचार किया जा रहा है । उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट बिल भी रखा है, उसकी सब सिफारिशों पर विचार हो रहा है । मुझे विश्वास है, और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा उसका निर्णय होकर आपके मामले एक बिल

पूर्णरूपेण बिल, चुनाव के कानून में मशोधन का उम कमेटी के सामने जितनी बातें थी, उन बातों को नजर में रखते हुए शासन लायेगी। उस समय यदि किसी माननीय सदस्य को उस प्रस्ताव पर आपत्ति हो तो उसमें मशोधन लाये जा सकते हैं और उन पर पूर्ण रूप में बहस हो सकती है। उस समय सदन जैसा चाहे, वैसा कानून बना सकता है। इसलिए मैं श्री पीताम्बरदास जी से कहूंगा कि शासन के सामने सब बातें विचारणीय हैं, और उसमें कोई खामिया हो, अगर आपकी मशा पूरी नहीं होती है तो उन सबको ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप में अपना मशोधन उस समय वह ला सकेंगे।

श्री पीताम्बरदास : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर करीब दस माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस भावना से यह बिल लाया गया था उसकी सभी माननीय सदस्यों ने कद्र की है। मैं उनकी उस कद्रदानी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।

कई माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाए और कुछ शकाए व्यक्त की हैं। उनके सम्बन्ध में मैं कुछ चीजें निवेदन करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि उपयोगी रहेगी।

माननीय सदस्य गणवीर सिंह जी भी इसके ऊपर बोले हैं। उन्होंने दो एक बातें उठाई हैं। और भोला पासवान जी ने तो इस प्रकार की भावनाएँ व्यक्त की कि उन्हें मुन करके एक बार मेरे मन में वह सारे विचार पुनर्जागृत हो गए जिन विचारों ने आजादी से पहले, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, हमको प्रेरणा भी दी। हमारा मार्ग दर्शन किया और हमको प्रोत्साहन भी दिया है। परन्तु उन्होंने मुझ से एक प्रश्न पूछा है कि दुनिया में कोई पोलिटिकल पार्टी ऐसी है जो अपना हिसाब पब्लिश करती है? मैं पासवान जी की मेवामें आपके

द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश की यह परंपरा यही है कि हमने कभी यह नहीं देखा कि इस काम को दूसरे लोगों ने किया या नहीं। अगर उसको हमने कर्तव्य माना है, अगर हमने यह माना है कि यह हमारा धर्म है तो हमने बिना इस बात की परवाह किए हुए उसका किया कि पहले कहीं ऐसे उदाहरण हैं या नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसने अपने देश में मोशलज्म बार्ड डेमोन्स्ट्रेशन मैथ्र्स लाने की कोशिश की हो? फिर भी हमारे देश के अन्दर इसका प्रयत्न चल रहा है और हम इस बात पर गर्व करते हैं।

श्री भोला पासवान शास्त्री : और जगह भी है, खाली यहाँ नहीं है।

श्री पीताम्बरदास : दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय ससार के सारे देश एक दूसरे का गला काटने के लिए पावर ब्लाक्स में बटे हुए थे, अमरीकन ब्लाक और रशन ब्लाक में तब हमने गुट निरपेक्ष की बातें कही। हमने क्या उस समय यह सोचा था कि और कोई देश नान अलाइड है क्या? हमारे देश की यह परंपरा रही है कि हमने ससार का मार्गदर्शन किया है। ससार में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया। और अगर पहले के इतिहास में जायें तो पासवान जी को पता चलेगा कि हमारे देश में अपने कर्तव्यों के लिए, अपने मिद्धान्तों के लिए पृष्ठ ने माता का परित्याग किया है भरत का उदाहरण सामने है। किसी देश में ऐसा नहीं है। प्रहलाद का उदाहरण हमारे सामने है। पृष्ठ ने पिता का त्याग किया। मीरा ने पति का आर गौतम बुद्ध ने पत्नी का त्याग किया है। ये परम्पराएँ रही हैं हमारे देश की। तब क्या यह सोचा था कि किसी देश में किसी ने ऐसा किया है? हमारे देश की विशेषता यह है कि हम अपना कर्तव्य निर्धारित करते हैं अपना धर्म पहचानते हैं और फिर बिना इस बात को सोचे हुए कि किसी ने उस रास्ते पर कदम रखा है या नहीं हम आगे बढ़ते हैं।

[श्री पीताम्बर दास]

कदम चूम लेती है खुद आ के मजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे।

श्रीमन्, हमारे मित्र रणबीर सिंह जी ने बो सवाल उठाए हैं। उनका एक तो कहना यह है कि उनकी समझ में यह नहीं आया कि पीताम्बर दास जी अपनी पार्टी के हित में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि विरोधी दल के नेता होकर, विरोधी दल के, हक की बात कह रहे हैं या उसके खिलाफ। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने इस बिल के ऊपर अपनी पार्टी के हित या अहित की दृष्टि से सोचा ही नहीं। मेरा वह तरीका ही नहीं है। मैंने तो केवल यह सोचा है कि इस प्रकार के प्रावधानों में हमारा राजनैतिक जीवन स्वच्छ हो सकता है या स्वच्छता की ओर चलने में मदद मिल सकती है। जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, पार्टियाँ आयेगी और जायेंगी लेकिन देश कहीं नहीं जायेगा देश रहेगा।

श्री भोला पासवान शास्त्री : आपके इस मोटिव पर किसी ने डाउट भी नहीं किया है।

श्री पीताम्बर दास : उन्होंने कहा था। श्रीमान्, पार्टियाँ आयेगी और जायेगी लेकिन यह देश और यह समाज रहने वाला है। जो पार्टी आज सत्ता में बैठी है वह सदा ही बैठी नहीं रहेगी, सत्ता बदल भी सकती है। इस देश के लोगों में, इस देश की जनता में सब का विश्वास है और वह विश्वास कमौटी पर भी आ चुका है। कांग्रेस के बारे में यह ख्याल था कि जन्म-जन्मालय तक इसे हुकूमन से नहीं हटा सकते परन्तु 1967 ई० में जनता ने उसको हटा कर दिखा दिया। यही नहीं, 1967 में जो लोग सत्तारूढ़ हुए, और जिन्होंने यह समझ लिया था कि अब हम सदा-सदा के लिए सत्ता में आगए हैं—मिनिस्ट्रो ने शायद यह सोचा था कि कल हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्ट्रो ने सोचा

था कि हमारा दूसरा कदम चीफ मिनिस्ट्री का है, उनका दिमाग भी जनता ने 1969 ई० में ठीक कर दिया। फिर कांग्रेस को सत्तारूढ़ कर दिया जिसे 1967 में हटाया था। अब आगे के लिए जो कुछ होने वाला है वह आप स्वयं देख लीजिएगा। इन सब चीजों से भी अदाज्ञा होता है कि इस देश के अन्दर पार्टी आयेगी भी और जायेंगी। इसलिए हमको इस दृष्टि से सोचना है कि हम देश के, समाज के, लाभ के लिए क्या कर रहे हैं और जहाँ तक मेरे सोचने का तरीका है वह यह है कि अगर मेरी पार्टी का अहित भी हो—मुझे मालूम नहीं कि इससे पार्टी का अहित होगा या हित होगा, अगर अहित होता तो हमारी पार्टी के लोग इसका विरोध करते, उन्होंने इसका विरोध किया। नहीं और मुझसे भी कुछ नहीं कहा कि यह न करो—लेकिन अगर मेरी पार्टी का अहित भी होता है तो इसकी मुझे बिल्कुल चिन्ता नहीं है। देश का हित होना चाहिए। ए. बर्क नशेमन को मेरे फूक दे बेशक गुलशन की तबाही मुझे भजूर नहीं है।

एक दूसरी बात और मेरे मित्र ने कही। उनका कहना यह है कि इसका मंशा तो बहुत अच्छी है लेकिन उन्हें इस बात में शुबहा है कि यह मंशा पूरी नहीं होने की। इसलिए शुरू मत करो। श्रीमान्, हमारे यहाँ के बड़े लोगों ने एक बात कही है। उन्होंने समाज को, समाज के लोगों को, तीन श्रेणियों में बाटा है। एक तो वे लोग हैं कि जो किसी भी काम को विघ्न बाधाओं के डर से शुरू ही नहीं करते। उसके ऊपर एक श्रेणी उन लोगों की है जो कि शुरू तो कर देते हैं बिना किसी चिन्ता के, लेकिन जब विघ्न बाधा उपस्थित हो जाती है तो काम को छोड़ देते हैं। इसको मध्यम श्रेणी कहते हैं। और उच्चतम श्रेणी के लोग वह हैं जो कि विघ्न-बाधाओं को ठोकर मारते हैं और उनके ऊपर विजय पा कर के काम को आगे बढ़ाते हैं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (उड़ीसा) : उसी श्रेणी में ओम् मेहता हैं।

श्री पीताम्बर दास : मुझे आश्चर्य हुआ कि चौधरी साहब, जिनकी सम्मानित नेता केवल अपने देश में नहीं बल्कि विश्व भर में इस बात के लिए विख्यात हैं—वह प्रथम श्रेणी में आती हैं—वे विघ्न बाधाओं को लात मार कर भी सफलता की ओर बढ़ती हैं और देश को आगे ले जाती हैं, वह चौधरी साहब मध्यम श्रेणी में भी नहीं, निम्न श्रेणी में पहुँच गए कि इसे शुरू ही मत करो। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसे शुरू करो, हिम्मत करो। जब आजादी की लड़ाई के दौरान हमने 'क्विट इंडिया' रिजोल्यूशन पाम किया, और कम्पलीट इंडिपेन्डेन्स का रिजोल्यूशन लाहौर में पाम किया था उस समय भी हमको ऐसा परामर्श देने वाले लोग थे। परन्तु हिम्मत वाले लोग आगे बढ़े। यद्यपि हिम्मत वाले लोग उगलियो पर गिने जाते हैं, परन्तु वे ही राष्ट्र के लिए असम्भव से असम्भव काम करके दिखा देते हैं, बशर्ते उस में राष्ट्र का हित हो। और राष्ट्र का हित इसमें है और इसकी मन्शा अच्छी है, यह सारे माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है।

श्री महावीर त्यागी : आपका बिल रेट्रो-स्पेक्टिव तो नहीं जाएगा क्योंकि....

Interruptions

श्री पीताम्बर दास : बात यह है, मैं आपको बता तो दूँगा लेकिन अगर, कोई मंत्री जी आश्वासन देंगे तो सदन में जो आश्वासन समिति है वह इसे पूरा करा सकती है, लेकिन अगर मैंने कह भी दिया तो मेरा आश्वासन कौन देखेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में।

एक बात अमजद अली साहब ने कही है और माननीय मंत्री जी ने भी उसकी ओर संकेत किया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को यह नया अधिकार देने का प्रश्न नहीं है। इन समय भी इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि वह पोलिटिकल पार्टियों को आल इंडिया लेबल की मान्यता दे सकता है। और देने वाले

को यह भी अधिकार है कि मान्यता वापस ले सकता है। और उसको यह भी अधिकार है कि अगर कोई उम्मीदवार अपने इलेक्शन के खर्च का हिस्सा नहीं दाखिल करना है तो वह उसको आगे के लिए डिस्क्वालिफाई कर कर दे 6 साल तक के लिए। आज भी उसको ये अधिकार है। ये दोनों अधिकार अलग अलग हैं। मैंने केवल इन दो अधिकारों को एक जगह मिला दिया है। कुछ अधिकार उन्हें एक एक इंडिविजुअल के बारे में हासिल हैं और कुछ पार्टियों के बारे में हासिल है। न मैंने इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकार बढ़ाया है और न कोई नए अधिकार दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन जिन काम के लिए है, उन्हीं कामों के अंतर्गत यह जिम्मेदारी मैंने दी है इस विधेयक के द्वारा।

श्रीमन्, सुलतान सिंह जी ने कुछ बातें उठाई हैं। बीगबन से अकबर बादशाह ने एक बार पूछा कि अगर एक विशेष परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि अगर एक विशेष प्रकार के लोगो मे पाला पड़ जाए तो चुप्पी साध लेनी चाहिए। तो मुझे एक बार लालच आया कि मैं भी चुप्पी साध लू उनकी बात के ऊपर। लेकिन फिर मुझे खयाल आया, वे नागज हो जायेंगे अगर मैंने उनकी बातों का जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं उनकी जानकारी के लिए बताए देता हूँ कि वह केमिकली ट्रीटेड बैलट पेपर्स वाली बात जो थी, उसमें मधोक साहब का अपना यह खयाल था—और मुझे लगता है कि यह खयाल ईमानदारी और संजीदगी के साथ उनके दिमाग में बैठा हुआ है अभी तक क्योंकि पोलिटिकली तो वे मुझसे नज़दीक हैं ही, परन्तु इस बारे में भी मेरी उनसे बातचीत होती रही है—तो वह वास्तव में ईमानदारी और आग्रह के साथ यह समझते हैं कि वह केमिकली ट्रीटेड बैलट पेपर्स इस्तेमाल हुए हैं वे यहाँ तक कहते हैं कि अगर "मल्लमेव जयते" सही है तो sooner or later, the truth

Bill, 1968

[श्री पीताम्बर दास]

will come out यह उनका स्टैंड है। लेकिन पार्टी के स्टैंड के बारे में यह है कि पार्टी ने कभी भी इस मस्ये में अपने दृढ़ विचार व्यक्त नहीं किए और वह मस्ये को साहब ही इस बात से सहमत भी नहीं है। मैं यह चौधरी साहब की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उसकी कोई जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर नहीं है, क्योंकि पार्टी का यह विचार पक्का बना नहीं है, यह केवल सदेह हो सकता है। मस्ये को साहब के विचार में निश्चितता है। पार्टी के मन में सदेह हो सकता है, परन्तु पार्टी ने कभी भी उसको इस दर्जे का नहीं समझा कि उसको पब्लिकली अलेज किया जा सके। यानी इस प्रकार का आरोप लगाया जा सके पार्टी की ओर से।

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह है रुपये के बल पर चुनाव जीतने की बात। उन्होंने दो बातें कही हैं, मैं केवल उन दोनों को ही मिला कर रख रहा हूँ। एक तरफ तो उन्होंने यह डर प्रकट किया है कि अगर रुपये-पैसे के बल पर प्राइम मिनिस्टर इस देश में बनने लगे तो बिडला और टाटा बनेंगे। दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि रुपये-पैसे के बल पर ये लोग लोक सभा में भी नहीं आ सके, ये लोग रुपये-पैसे वाले होकर भी बम्बई में चुनाव हारें राजस्थान में हारें तो फिर इस डर का मवाल क्या है? रुपये-पैसे के बल पर इस देश में कोई सत्ता प्राप्त कर लेगा या सत्ता प्राप्त करके अधिक दिन तक टिक सकेगा यह इस देश का जन मानस और स्वभाव नहीं है। यह हमारी विशेषता है कि हमने कभी भी वैभवशाली और सम्पन्न के आगे सिर नहीं झुकाया। हमने सिर झुकाया है तो उस आदमी के आगे जो सुख वैभव को लात मार के चौराहे पर धनी रमा कर बैठ जाता था। हमने महात्मा गान्धी जी को भी महात्मा उस समय कहा, उनके सामने सिर उस समय झुकाया, हमने ही नहीं बल्कि सारे समाज ने उस समय सिर झुकाया, जब उन्होंने सारे वैभव को छोड़ कर केवल एक लगेटी अपने बदन पर

लगा ली और स्वयं को दरिद्रनारायण का अवतार कह दिया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पोलिटिकल पार्टीज अपना हिस्सा देती रहे, तो उनके लिए लोगों के मन में इज्जत रहेगी। हिस्सा न देने पर यह भ्रान्ति चली आ रही है कि पैसे के बल पर ये लोग जीत कर आये हैं। --

मैं तो देश के राजनैतिक वातावरण को स्वच्छ करने की दृष्टि से यह विधेयक लाया हूँ--वातावरण बिगाड़ने के लिए नहीं। एक तीसरी बात उन्होंने कही कि उनको यह अन्देश है कि अगर देश के अन्दर इन पार्टियों का मान्यता मिलती रही, तो जो रीजनल पार्टियाँ हैं, बी० के० डी० का नाम उन्होंने लिया, अकाली पार्टी का नाम उन्होंने लिया।

एक माननीय सदस्य : जनसभ भी तो एक रीजनल पार्टी है।

श्री पीताम्बर दास : जनसभ कोई मस्ये पार्टी नहीं है बल्कि वह आल इंडिया पार्टी है और उसे आल इंडिया लेवल पर मान्यता प्राप्त है। बाकी जो पार्टियाँ हैं, जिनका उन्होंने नाम लिया है, उनको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता तो दी है लेकिन एज ए रीजनल पार्टीज दी है, उन्हें आल इंडिया पार्टी के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। केवल देश में चार ही पार्टियाँ हैं, जिन्हें आल इंडिया के आधार पर मान्यता दी गई है। इसलिए उनको जो डर है कि जिन रीजनल पार्टियों से, वह रीजनल लेवल से ऊपर उठी नहीं है। आल इंडिया पार्टी के लिए उन्होंने शर्त पूरी नहीं की है। चूंकि उन्हें सारे भारतवर्ष में कम प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं, इसलिए वे आल इंडिया पार्टी नहीं हैं, केवल मुकामी पार्टी हैं। जहाँ तक जनसभ का सवाल है, वह देश के अन्दर केवल इक्कीस साल से काम कर रही हैं, हमारे देश के सभी प्रदेशों के अन्दर फैलाव हो गया है। इसलिए हमको रीजनल पार्टी नहीं कहा जा सकता है।

मन्त्री जी ने हम लोगों की जानकारी के लिए यह बताया है कि इलेक्शन लाज कमेटी

की रिपोर्ट आ गई है और सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार कर रही है। उसमें इस तरह की सिफारिश होगी।

श्री नवल किशोर : फारेन मनी की जो रिपोर्ट आई है।

श्री पीताम्बर बास : वह रिपोर्ट सरकार ने देखी है और उसके सम्बन्ध में कोई विधेयक आने वाला है। मैंने 1968 में यह विधेयक दिया था। चार साल के बाद यह सदन में बहस के लिए आया है। मैं तो यहां तक तैयार हूँ कि इसको ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, वहां पर इसका सारा क्लेवर बदल दिया जाय, फिर भी मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तो यह भी चाहता था कि इसमें अमेन्डमेंट आते-और मैं उनको स्वीकार कर लेता। लेकिन मंत्री जी का यह खयाल है कि सरकार ही इस तरह का कोई बिल लाए। शायद विरोधी दल वाले के बिल को स्वीकार करने में सरकार की मर्यादा का सवाल आ जाता है। मैं भी नहीं चाहता कि सरकार की मर्यादा के ऊपर कोई आंच आए। अगर सरकार की मर्यादा

नहीं रहेगी, तो फिर सरकार किस बात की रहेगी? ब्रिटिश सरकार के सामने तो यह बात थी कि उन्होंने शारदा बिल को स्वीकार कर लिया था—और सरकारी होने के बाद भी उसको चलाया। मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि सदन में इस तरह के बिल को जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जायेगी, उस आश्वासन के आधार पर मैं अपने बिल को वापस लेता हूँ, अगर सदन की अनुमति हो तो।

The Bill was by leave, withdrawn.

AN HON. MEMBER : Sir, there is very little time and we cannot now take up any new business. Let us, therefore, adjourn now.

SOME HON. MEMBERS : Yes, Sir. We can adjourn now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) : Yes, there is no time now. Let us adjourn now. The House stands adjourned till 11-00 A.M. on Monday, the 11th December, 1972.

The House adjourned at forty-five minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 11th December, 1972.